# मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

जंगल रहे, ताकि नर्मदा बहे

# निस्तार पत्रिका

वर्ष - 2016

## नरसिंहपुर वन मंडल

शासकीय वनो से जन हितार्थ उपलब्ध सुविधाएं

# अनुसूची


| क्र. | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | वनों की रक्षा कीजिए | 3 |
| 2. | निस्तार व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश | 4-5 |
| 3. | केन्द्रीय जलाऊ डिपो की सूची परिशिष्ट - 1 | 7 |
| 4. | निस्तार डिपो की सूची परिशिष्ट - 2 | 8 से 15 |
| 5. | केन्द्रीय डिपो की सूची परिशिष्ट - 3 | 16 |
| 6. | चराई परिशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्र - 4 | 17 से 40 |
| 7. | बाढ़/अग्नि पीड़ितों को बांस बल्ली उपलब्ध कराने पत्र | 41 |
| 8. | मेघनाथ जौरा का प्रदाय एवं दर निर्धारण पत्र | 42 |
| 9. | जलाऊ लकड़ी बिना चट्ठा बनाये हुये का प्रदाय पत्र | 43-45 |
| 10. | लोक वानिकी कार्यक्रम | 46-48 |
| 11. | लोक वानिकी हितग्राही स्वामित्व वाली वनोपज काष्ठ का विक्रय अनुबंध पत्र | 49-51 |
| 12. | लोक वानिकी हितग्राही स्वामित्व वाली वनोपज काष्ठ को वनमंडलाधिकारी को आवेदन पत्र | 52-54 |
| 13. | जलाऊ लकड़ी का डिपो में लेखांकन व निर्वर्तन प्रक्रिया | 55-56 |
| 14. | जलाऊ लकड़ी के विक्रय हेतु स्वीकृत दरें वर्ष 2016 | 57 |
| 15. | वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि व पशु हानि पर क्षतिपूर्ति | 58-59 |
| 16. | निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु किसान लक्ष्मी योजना | 60 |
| 17. | वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि से संबंधित निर्देश | 61-63 |
| 18. | बाजार, निस्तार एवं वन समितियों हेतु बांस की दर वर्ष - 2016 | 64 |
| 19. | वर्ष 2016 के लिए बाजार, निस्तार एवं समितियों हेतु बल्लियों की दर प्रति नग | 65 |
| 20. | लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्रदत्त सेवायें | 66 |
| 21. | मेसर्स प्रेम काड़ी उद्योग सिवनी मालवा हेतु बांस के टुकड़े प्रदाय हेतु निर्देश | 67 |
| 22. | निस्तार व्यवस्था में प्रदाय बांसों की लम्बाई/साइज बाबत निर्देश | 68 |
| 23. | परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने संबंधी निर्देश | 69-70 |
| 24. | विभिन्न डिपो में वनोपज विक्रय हेतु गठित निगरानी समिति की सूची | 71-72 |
| 25. | चराई नियमावली 1986 का अनुपालन | 73 |

# वन एवं वन्यप्राणी अपराध से संबंधित सूचना देने के लिए निःशुल्क टेलीफोन नंबर

# 155312, 1800 233 4396

## 1 अक्टूबर 2009 से प्रांरभ

**इस टोल फ्री नंबर पर बात करने पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा।कोई भी व्यक्ति सप्ताह में किसी भी दिन 24 घंटे में कभी भी वन अपराध की सूचना इस नंबर पर दर्ज करा सकता हैं।**

- समस्त प्रकार के वन अपराध जैसे अवैध शिकार, अवैध कटाई व अवैध परिवहन वनभूमि पर अतिक्रमण, वनों में लगने वाली आग इत्यादि समस्त वन अपराधों की सूचना आप टेलीफोन नम्बर 155312 एवं 1800 233 4396 पर दीजिए।
- वन अपराधों से संबंधित अन्य कोई गोपनीय सूचना आप उपरोक्त नम्बर पर दे सकते हैं। यदि आप अपनी पहचान गोपर्नीय रखना चाहते हैं तो इसे गोपनीय रखने के लिए वन विभाग वचनबद्ध हैं।
- सूचना सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायेगा।

## वन विभाग के आवश्यक टेलीफोन नम्बर

| अ.क्रं. | पद | शासकीय मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | वनसंरक्षक एवं पदेन वनमंडल अधिकारी, नरसिंहपुर | 9424794005 |
| 2 | वन मंडल कार्यालय नरसिंहपुर | 07792 - 230624 |
| 3 | उपवन मंडल अधिकारी नरसिंहपुर | 9424794006 |
| 4 | उपवन मंडल अधिकारी गोटेगॉव | 9424794008 |
| 5 | उपवन मंडल अधिकारी बरमान | 9424794009 |
| 6 | उपवन मंडल अधिकारी गाडरवारा | 9424794007 |
| 7 | परिक्षेत्र अधिकारी नरसिंहपुर | 9424794010 |
| 8 | परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवारा | 9424794014 |
| 9 | परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगॉव | 9424794011 |
| 10 | परिक्षेत्र अधिकारी करेली | 9424794013 |
| 11 | परिक्षेत्र अधिकारी बरमान | 9424794012 |

# वनों की रक्षा कीजिए।

जनसंख्या, उद्योग एवं कृषि के विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक युग में वन क्षेत्र में आई कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। औद्योगिकीकरण से वायु, भूमि एवं जल दूषित होते जा रहे हैं और मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया हैं। इस कारण आज हमारा मुख्य कर्तव्य प्राकृतिक संतुलन को यथा संभव उसी रूप में बनाये रखना हैं जैसा प्रकृति ने हमें प्रदान किया।

वनों से आर्द्रता एवं जलवायु चक्र में आकस्मिक परिवर्तन कर काफी प्रभावशील रोक लगाते हैं, वृक्ष समूह ने प्रारंभ से ही मानव जीवन एवं वातावरण को प्रभावित किया हैं। बड़े शहरों एवं कस्बों में मानव जीवन दिनों दिन प्रदूषण युक्त होता जा रहा है। इस प्रदूषण से मुक्ति प्राकृतिक वातावरण से प्रकृति की गोद में मिल सकती है। फूलों की सुगंध, वृक्षों की हरियाली, झरनो से कल-कल बहता पानी एवं वन्य प्राणियों के विचरण की छटा तनाव मुक्ति का साधन है। आबादी बढ़ रही है, रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है व आवश्यकता बढ़ रही है किन्तु वन क्षेत्र शनैःशनैः घट रहा हैं, मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में अब जंगल नजर नहीं आता है। यदि वन इसी तरह घटते रहे तो हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान बन जायेगा।

हम सभी जानते हैं कि -

1. श्वास लेने के लिये शुद्ध हवा चाहिए, पेड़ जहरीली हवा को शुद्ध हवा में बदलते हैं।
2. हरियाली सबको अच्छी लगती है, बिना पेड़ पौधों के हरियाली संभव नहीं।
3. जमीन को उपजाऊ रखने के लिये नदी नालों में साफ पानी बहते रहने के लिये वनों का होना जरूरी हैं। वनों के रहने से ही सिंचाई के साधनों जैसे तालाब, स्टाप डेम, कुआं, टयूब बैल एवं बांधों का पूर्ण लाभ मिल सकता हैं।
4. भूमि, जल और वायु की रक्षा के लिये वन आवश्यक हैं।
5. जीवनोप्योगी औषधियों एवं औद्योगिक आवश्यकता की मांग वनों से पूरी होती हैं।
6. वन राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा राष्ट्र के विकास का साधन भी हैं।
7. प्रकृति के बनाये विभिन्न वन्य प्राणियों का मानव अस्तित्व के लिये बहुत महत्व हैं उनको भी जीने का हक हम सभी के समान हैं।
8. वनों में पायी जाने वाली लघु वनोपज जैसे तेन्दूपत्ता, साल, बीज, हर्रा आदि विभिन्न प्रकार की गोंद इमली, महुआ, चिरोंजी, आंवला आदि ग्रामीणों के लिये आय के स्त्रोत हैं। लघु वनोपज से अधिकतम आय समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। जिनकी आय के अन्य साधन बहुत कम हैं।
9. वनों के विभिन्न कार्य जैसे वृक्ष, बांसों की कटाई, वृक्षारोपण एवं विकास कार्यो से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होता हैं।

वनों को सबसे अधिक क्षति अग्नि से होती हैं वृक्ष आग से झुलस जाते हैं जिससे उनकी लकड़ी खराब हो जाती हैं, वृक्ष प्रजातियों के छोटे पौधे जो कि भविष्य के वृक्ष हैं जलकर नष्ट हो जाते हैं घास एवं अन्य छोटे पौधे भी पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं उल्लेखनीय है कि आग से होने वाली क्षति किसी के काम नहीं आती परन्तु यह एक सत्य हैं कि राज्य के वनों का एक बहुत बड़ा भाग प्रत्येक वर्ष अग्नि से जलता हैं।

वनों का दूसरा शत्रु अवैध कटाई है इस व्यवसाय में लिप्त लोग इमारती वृक्षों की कटाई कर अवैध आय अर्जित करते हैं अवैध कटाई से धीरे-धीरे सघन वन विरले वनों में बदल जाते हैं तथा विरले वन तो लगभग समाप्त हो जाते हैं, वनों पर अनियंत्रित चराई का भी बहुत हानिप्रद असर होता हैं। इस कारण घास भी वनों में बहुत कम उपलब्ध होती हैं। तथा छोटे पौधे गवेशियों के द्वारा चर लिये जाने से आगे बड़े पौधे तैयार होने की संभावनाएँ ही समाप्त हो जाती हैं। वन भूमि के अतिक्रमण से भी वन क्षेत्र में कमी आती रही है यदि अतिक्रमण को दृढ़ता से नहीं रोका गया तो वन क्षेत्र ही कम हो जायेगा एवं ग्रामीणों की वन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी।प्रदेश के अनेक ग्रामों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो चुकी है, अतः आवश्यक है कि सभी ग्रामीण महिला एवं पुरूष मिलकर ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समीति बनायें तथा संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों की अग्नि, अवैध कटाई, अनियंत्रित चराई तथा अतिक्रमण से वन कर्मचारियों के सहयोग से मिलजुलकर रक्षा करें। ताकि सभी को इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज पर्याप्त मात्रा में मिल सके तथा आने वाली पीढ़ी का अच्छे पर्यावरण में सुखद भविष्य सुनिश्चित हो। वन विभाग संयुक्त वन प्रबंधन से भी वनों एवं वन्य प्राणियों के विकास एवं ग्रामीणों के खुशहाल भविष्य का सपना साकार करना चाहता हैं।

# निस्तार व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश

वर्तमान निस्तार नीति के अन्तर्गत वनों की सीमा से 5 कि.मी. परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्राम के ग्रामीणों को कृषि व घरेलू कार्यो के उपयोग हेतु बांस बल्ली जलाऊ लकड़ी आदि वनोपज रियायती दरों पर प्रदाय किये जाने का प्रावधान हैं।

इस सुविधा के अन्तर्गत प्राप्त वनोपज का विक्रय विनिमय अथवा अन्य व्यक्तियों को दान दिया जाना वर्जित है निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वनोपज प्रदाय हेतु शासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वे निम्नानुसार हैं :-

1. निस्तार में दी गई रियायतों के अंतर्गत वृक्षों की कोई भी कटाई एवं भूमि को पत्थर एवं खनिज प्राप्ति तथा निर्माण कार्य के लिये तोड़ना वर्जित हैं निस्तार के अंतर्गत वनोपज किसी व्यापारिक कार्यो में नहीं ली जावेगी निस्तार सुविधा के अंतर्गत वनोपज का संग्रहण स्वतः श्रम द्वारा (मेन्यूअली) होगा एवं स्थानीय दुलाई जैसे बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी,ट्रेक्टर आदि से की जावेगी।
2. ग्रामीण अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु बक्कल, जड़ें एवं अन्य पैदावार कांटेदार झाड़ियां गोंद खनिज फल फूल आदि निःशुल्क एकत्रित कर सकते हैं किन्तु वृक्षों अथवा जमीन की सतह पर उगे हुए पौधों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाएगा अन्यथा सुविधा पर रोक लगाई जा सकेगी। बंधन यह भी है कि वनोपज निस्तार के अंतर्गत बस, ट्रक एवं साइकिल द्वारा परिवहन नहीं किया जा सकता सूर्योदय के पूर्व पश्चात् वनोपज की निकासी नहीं की जावेगी। साथ ही निस्तार में प्राप्त वनोपज का विक्रय दान विनिमय वर्जित है।
3. निस्तार सुविधा के अंतर्गत ग्रामीण वनों में भूमि सतह पर पड़े बोल्डर मुरम रेत स्वयं के उपयोग के लिये बैलगाड़ी द्वारा ला सकते हैं। परन्तु क्षेत्र को खोदकर इनको निकालने पर मनाही हैं।
4. इसमें स्पष्ट होता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व ग्रामीणों को जो निस्तार सुविधाएँ उपलब्ध थीं वे यथावत अधिनियम के आने के पश्चात् भी उपलब्ध रहेगी।

## 1. जलाऊ लकड़ी

(क) ग्रामीण राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से गिरी पड़ी मरी सूखी जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।

(ख) ग्रामीण उपलब्धता के आधार पर अपने वास्तविक निस्तार के लिये निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे विभागीय कूपों से भी प्राप्त कर सकते हैं एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम 2 चट्टे तथा उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टो का परिवहन केवल बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी एवं ट्रेक्टर से किया जा सकेगा।

(ग) वनों में 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकतानुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपो से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं। ऐसे डिपो की सूची संलग्न परिशिष्ट क्र.1 में दी गई हैं। कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जायेंगे जहां से की संलग्न ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिये पंचायत के प्रमाण पत्रों पर अधिकतम चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं इन चट्टों का परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी द्वारा किया जा सकेगा ऐसे नाभिकीय डिपो की सूची संलग्न ग्रामों की सूची सहित परिशिष्ट (3) में दी गई हैं। वनों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ऐसे ग्रामों जिन्हें निस्तार की पात्रता है उनको न्यूक्लियस डिपो के माध्यम से चट्टे परिवहन आदि व्यय जोड़कर उपलब्ध कराये जाये इस व्यवस्था को लागू करने में परिवहन व्यय निस्तार दर से प्रदाय में जोड़ा जाये।

## 2. बल्ली

(क) वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध करायी जावेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्लियाँ तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूची संलग्न परिशिष्ट क्र. 2 में दी गई हैं।

(ख) वनों में 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से केन्द्रीय डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे केन्द्रीय डिपो की सूची संलग्न परिशिष्ट क्र. 3 में दी गई हैं।

## 3. बांस

(क) वनों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निवासी प्रतिवर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे डिपो की सूची संलग्न ग्रामों की सूची सहित परिशिष्ट क्रमांक 2 में दी गई हैं।

(ख) वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी बाजार दर पर पंचायत के माध्यम से आवश्यकतानुसार बांस प्राप्त कर सकते हैं ऐसे डिपो की सूची परिशिष्ट क्रमांक 3 में दी गई हैं।

(ग) प्रत्येक बसोड़ परिवार को उपलब्धता के आधार पर 1500 नग तक बांस प्रदाय करने का प्रावधान हैं कूपों से 40 कि.मी. का परिवहन होने पर प्रथम 500 बांस तक की दर से 60 पैसे एवं 501 से 1500 नग बांस तक 75 पैसे बांस होगी। कूप से डिपो तक की दूरी 40 कि.मी. से अधिक होने पर परिवहन व्यय को जोड़कर दरों का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक बसोड़ परिवार को कलेण्डर वर्ष के लिये पंजीकृत करना आवश्यक है तथा बसोड़ परिवार को बांस प्रदाय करने के लिये एक वही रखी जावेगी। बसोड़ डिपो को जानकारी संलग्न परिशिष्ट क्र. 2 एवं 3 में दी गई हैं।

## 4. फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति –

वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें ऊपर दर्शाये अनुसार जलाऊ बल्ली, बांस प्राप्त करने हेतु यदि आवश्यक समझें तो उनकी ओर से फुटकर विक्रेता भी नियुक्त कर सकती है जो कि पंचायत की ओर से पूरा मूल्य पटाते हुए वनोपज प्राप्त करेंगा उसका परिवहन पंचायत क्षेत्र में करेगा एवं निर्धारित स्थल से पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर उनकी बिक्री सरपंच के निर्देशानुसार करेगा इस संदर्भ में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की पंचायतों अपनी बैठक में फुटकर विक्रेता की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रस्ताव पारित करेगी प्रस्ताव में ये भी दर्शाया जावेगा कि किस व्यक्ति को फुटकर विक्रेता नियुक्त किया जा रहा है तथा वह किस स्थान पर तथा किस दर से वनोपज की बिक्री करेगा इस प्रस्ताव की प्रति जिलाध्यक्ष, संबंधित वन मंडलाधिकारी एवं संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को भेजी जावेगी। फुटकर विक्रेता का पंचायत द्वारा वनोपज उपलब्ध करा दी जावेगी डिपो से प्राप्त वनोपज का परिवहन जारी भुगतान मनी रसीद के आधार पर सुविधानुसार बैलगाड़ी, ट्रेक्टर या ट्रक द्वारा पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल तक दिया जा सकेगा।
2. फुटकर विक्रेता द्वारा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्धारित दरों पर बिक्री की जायेगी तथा बिक्री का दैनिक लेखा जोखा रखना होगा।
3. यहाँ पंचायत का दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि उस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त वनोपज की बिक्री निर्धारित स्थल पर निर्धारित दरों के अनुरूप की जा रही है और प्राप्त वनोपज का कोई दुरूपयोग नहीं हो रहा हैं।
4. पहली खेप में ले जाई गई वनोपज का 90 प्रतिशत भाग बिक जाने पर ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर फुटकर विक्रता को दूसरी खेप दी जावेगी। दूसरी खेप के संबंध में अनुशंसा करते समय पंचायत को यह स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि पूर्व की खेप में ले जाई गई 90 प्रतिशत वनोपज बिक चुकी हैं।
5. पंचायत चाहे तो फुटकर विक्रेता से बिक्री के पूर्व अमानत राशि का जमा कर सकती हैं और अनुबंध भी कर सकती हैं।

## 6. छोटी वनोपज की निःशुल्क सुविधाएँ –

ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वक्कल जड़ें एवं अन्य पैदावार कांटेदार झाड़ियां गोंद खनिज फल फूल आदि निःशुल्क एकत्रित कर सकते हैं किन्तु वृक्षों अथवा जगीन की सतह पर उगे हुए पौधों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी अन्यथा सुविधा पर रोक लगाई जा सकेगी।

## 5. चराई की सुविधा –

राज्य के वनों में चराई नियम 1986 के द्वारा नियंत्रित हैं चराई प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट क्रमांक 4 में दी गई हैं। निस्तार व्यवस्था के संबंध में मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं।

प्रत्येक सरपंच उनके क्षेत्र के ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार व प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हितग्राही को निम्नानुसार प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

# प्रमाण–पत्र

## (वनोपज प्रदाय हेतु)

## ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने हेतु

क्र. .....  वर्ष 2001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....

आत्मज ..... निवासी ग्राम ..... प.ह.नं. .....

तहसील ..... वनोपज ..... संस्था की .....

1. घरेलु निस्तार हेतु आवश्यकता है इसके पूर्व मैंने इन्हें इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया हैं। ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के हैं।

   दिनांक .....

2. यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रमाण-पत्र की पुस्तक उपलब्ध न हो तो सरपंच द्वारा सादे कागज पर उपरोक्त प्रमाण पत्र दो प्रतियों में जारी किया जा सकता हैं प्रमाण पत्र जारी करते समय सरपंच को चाहिए कि वह निस्तारकों को संबंधित निस्तार डिपो पर नियुक्त कर्मचारी के नाम एवं पद बिक्री के दिनों लकड़ी की कीमत आदि से भली भांति परिचित करा दे ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े प्रमाण-पत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के अभिलेख में रखी जावेगी।
3. प्रत्येक वनोपज अर्थात् बांस बल्ली व जलाऊ लकड़ी के लिये सरपंच पृथक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
4. प्रत्येक कृषक, कृषक मजदूर जो अपने निस्तार पूर्ति के लिए वनोपज चाहता है वह अपने सरपंच से प्रमाण पत्र दो प्रतियों में लेकर संलग्न डिपो में जाकर इमारती लकड़ी प्राप्त कर सकता हैं वे प्रमाण पत्र डिपो पर वन विभाग की ओर से नियुक्त कर्मचारी वन सुरक्षा समिति ग्राम वन समिति द्वारा पदस्थ कर्मचारी को देकर वनोपज का मूल्य पटाकर निस्तारक वनोपज प्राप्त कर सकता हैं।
5. सरपंच प्रमाण पत्र की एक प्रति ग्रामीण अपने पास रखेगा तथा एक प्रति निस्तार डिपो प्रभारी/परिक्षेत्र सहायक को देगा।
6. वनों से प्राकृतिक तौर पर गिरी पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी ग्रामीण सिर बोझ से निःशुल्क ले जा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के जलाऊ गट्ठे बस, ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली एवं सायकल द्वारा परिवहन नहीं किये जा सकते हैं।
7. निस्तार में प्रदाय की गई वनोपज ट्रेक्टर, ट्राली, बस, ट्रक आदि ईजन चलित वाहनों द्वारा परिवहन नहीं की जावेगी।
8. प्रत्येक बसोड़ परिवार को एक बार उपलब्धता के अनुसार अधिकतम बांस प्रदान किये जायेंगे तथा प्रदाय बांस उनकी बसोड़ वही में अंकित किया जायेगा। अतः बसोड़ वही को लेकर ही डिपो में जावें।
9. बसोड़ों के लिये निर्धारित बांस डिपो में बांस मोटे सिरे से 4.5 फुट तक फाड़ कर दिया जायेगा।
10. डिपो परिसर में बीड़ी या सिगरेट पीना या आग जलाना मना हैं।
11. निस्तार सामग्री ही प्राप्त होने पर कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह वनोपज किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री या दान न की जाये। ऐसा करना अपराध है, जिसके भू-राजस्व संहिता की धारा 253 के अनुसार 1000 रू. तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता हैं।
12. निस्तारी वनोपज का उपयोग, जिसके नाम मनी रसीद जारी की गई है वही करेगा, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।
13. वनोपज को परिवहन के समय मनी रसीद अपने साथ रखेगा तथा मांगे जाने पर किसी भी कार्यपालिका वन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी को प्रस्तुत करे। मनी रसीद उपलब्ध न होने पर आपके विरूद्ध वाहन एवं वनोपज जप्त कर भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं।

14. मनी रसीद को परिवहन के उपरान्त भी सुरक्षित रखें तथा किंस विवाद के समय उनको वनोपज स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें।
15. बल्ली का परिवहन करते समय यह अवश्य देख लेवें कि डिपो कर्मचारी के द्वारा बल्ली पर हैमर का निशान, अवश्य लगा दिया हैं तथा हैमर भी अंकित कर दिया है। हैमर न लगा होने पर परिवहन के दौरान जांच में बल्ली अवैद्य मानी जा सकती हैं तथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।
16. प्रत्येक निस्तारी को पृथक-पृथक मनी ररीद जारी किया जाना अनिवार्य हैं।
17. सूर्योदय के पूर्व या पश्चात् वनोपज की निकासी नहीं की जावेगी।
18. निस्तार वनोपज की निकासी समयावधि के भीतर की जावेगी। यदि गाड़ी टूट जाय या बैल बीमार हो जाये तो खरीददार को पास की अवधि समीप के कर्मचारी से बढ़वा लेनी चाहिए।
19. वन कर्मचारियों की अनुपस्थिति में डिपो या कूप में प्रवेश न करें।
20. डिपो में वनोपज एक तरफ से प्रदाय की जावेगी, किसी को भी वनोपज छटाई की अनुमति नहीं होगी।
21. वन सुरक्षा समिति के ग्रामीणों को रायल्टी मुक्त निस्तार उसी स्थिति में दिया जायेगा। जबकि समिति के द्वारा वन सुरक्षा के संबंध में सफल योग दिया गया हो। शेष स्थिति में निस्तार दर पर ही वनोपज प्रदाय की जायेगी।

# विभिन्न कर

1. विभिन्न वनोपजों पर परिशिष्टों में दर्शाये दर से विक्रय मूल्य की गणना की जावेगी। विक्रय मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से वन विकास उपकर अतिरिक्त देय होगा।

## परिशिष्ट क्रमांक- 1

## केन्द्रीय जलाऊ डिपो की सूची

(केवल वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर के ग्रामों हेतु)

| अनु. | जलाऊ डिपो का नाम | अनुमानित मात्रा चट्टा में | विक्रय दिवस | विक्रय करने वाले कर्मचारी की पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | नरसिंहपुर | 200 चट्टा | सोम, मंगल | डिपो प्रभारी, वनपाल |
| 2. | गाडरवारा | 100 चट्टा | सोम, मंगल | डिपो प्रभारी, वनपाल |
| 3. | गोटेगांव | 200 चट्टा | बुध, गुरू | डिपो प्रभारी, वनपाल |
| 4. | करेली | 100 चट्टा | सोम, मंगल | डिपो प्रभारी, वनपाल |
| 5. | बरमान | 150 चट्टा | सोमवार | डिपो प्रभारी, वनपाल |
| 6. | जलाऊ डिपो वारहा | 50 चट्टा | शनिवार | प.स. वारहा |
| | योग | 800 | | |

## परिशिष्ट क्रमांक 2
### निस्तार डिपो की सूची
(केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु)

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| गोटेगाँव | नरसिंहपुर | 1 बचई | 300 | 600 | 2000 | बचई | अगरिया | बचई | - | - | 57 |
| | | | | | | करहैया | करहैया | - | - | - | |
| | | | | | | बबरिया | बबरिया | कन्हारपानी | - | - | |
| | | | | | | चीलाचौन कला | चीलाचौन कला, सावरानी | - | - | - | |
| | | | | | | चौराखेड़ा | चौराखेड़ा, सलैया, मेहमदपुर | - | - | - | |
| | | | | | | चीलाचौनखुर्द | चीलाचौन खुर्द | - | - | - | |
| | | | | | | धवई | बड़गुवाँ, धवई | - | - | - | |
| | | | | | | डांगीढाना | डोंगीढाना,मुरलीपौड़ी,बाघपौड़ी | - | - | - | |
| | | | | | | शाहजपुरा | शाहजपुर, लुरहैटा | - | - | - | |
| | | | | | | मुड़िया | मुड़िया बाघपौड़ी | - | - | - | |
| | | | | | | बहोरीपारकला | हनुमत पौड़ी | - | - | - | |
| | | | | | | नवलगांव | झारखुरपा | - | - | - | |
| | | | | | | बारूरेवा | नयाखेड़ा | गगई | - | - | |
| | | | | | | कल्याणपुर | भूतपिपरिया, बिजौरी | - | - | - | |
| | | | | | | बकोरी | सिहोरा | - | - | - | |
| | | 2 मुंगवानी | 300 | 300 | 1000 | मुंगवानी | - | मुंगवानी, खमरिया | - | - | 17 |
| | | | | | | गड़रिया | गड़रिया, भौंती | सालीवाड़ा | - | - | |
| | | | | | | पाजरा | - | - | पाजरा | - | |
| | | | | | | पिपरिया | विक्रमपुर | - | - | - | |
| | | 3 डुडवारा | 50 | 250 | 250 | डुडवारा | डुंगरिया | लबेरी | डुडवारा | - | 15 |
| | | | | | | लिघारी | कटकुही | लिघारी, खापा, घोघरा | जेरा | - | 40 |
| | | | | | | पाठा | कछरा | - | पाठा | - | |
| | | 4 गोरखपुर | 200 | 250 | 250 | गोरखपुर | - | गोरखपुर | - | - | |
| | | | | | | रातामाटी | रातामाटी | जामुनझिरिया, गौरछापर | - | - | |
| | | | | | | आलौद | आलौद | - | - | - | |
| | | | | | | बिचुआ | - | बिचुआ, सर्रा, ढारिया | - | - | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| | | | | | | मेहगांव | - | चांवरपाठा,भूरीखोह,जमुनिया | - | बुढ़ैना | |
| | | | | | | कोदरासकला | डुंगरिया, नांदिया | - | - | - | |
| | | 5 पिपरिया | 100 | 100 | 200 | पिपरिया | - | पिपरिया, थुवारी | - | - | 2 |
| | | | | | | गोगावरी | - | गोगावरी, मुडरईकला | - | - | |
| | | | | | | पांजरा | बोरिया | पुरा | - | - | |
| | | 6 ऊसरी | 50 | 200 | 300 | ऊसरी | - | ऊसरी, सिंगौड़ी | - | - | 10 |
| | | | | | | डुडवारा | - | डुगरिया | - | - | |
| | | | | | | पिपरिया | मडवा | - | - | - | |
| | | | | | | रातामाटी | - | जटलापुर | - | - | |
| | | | | | | आलौद | पाला मुंदरई | - | - | - | |
| | | 7 देवनगर | 150 | 500 | 500 | देवनगर नया | देवनगर नया,करहैया, सलैया | - | - | - | 13 |
| | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | पस्ताना | - | पस्ताना, पिंडरई | - | - | |
| | | | | | | बकौरी | - | बकौरी,मढ़ पिपरिया,भंडार,देवमालपानी | - | - | |
| | | | | | | मुंगवानी | पटनिया | - | - | - | |
| | | 8 जैतपुर | 600 | 200 | 1200 | पाला | पाला, कोड़ा, कठौतिया | - | जैतपुर | - | 70 |
| | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | भैंसा | भैंसा | - | - | - | |
| | | | | | | कल्याणपुर | कल्याणपुर | - | - | - | |
| | | | | | | पीपरपानी | - | पीपरपानी, बरमानी, किसलई | - | - | |
| | | | | | | सिमरिया | सिमरिया, बरखेड़ा | - | - | - | |
| | | | | | | सिंहपुरबड़ा | सिंहपुरबड़ा, दुराजपुर | - | - | - | |
| | | | | | | चौलाचौनकला | सावरानी | - | - | - | |
| | | | | | | लौकीपार | लौकीपार | - | - | - | |
| | | | | | | नवलगांव | बहोरीपार | - | - | - | |
| | | 9 कोदरास | 50 | 100 | 400 | कोदरासकला | - | कोदरास कला, चार बहोरिया, बुढ़ैना | - | - | 0 |
| योग | नरसिंहपुर | | 1800 | 2500 | 6100 | खमरिया (नारिया) | खमरिया, कोदरासखुर्द | कान्हा उदल | - | - | |
| गोटेगाँव | गोटेगाँव | 10 श्रीनगर | 300 | 200 | 800 | श्रीनगर झौत गौरतला | - मबई, सोहजनी | श्यामनगर मजनी | श्रीनगर गौरतला | - - | 75 |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| गोटेगाँव | गोटेगाँव | | | | | झौत | - | श्यामनगर | - | - | |
| | | | | | | नगवारा | - | | बंधा | - | |
| | | 11 पिपरिया | 100 | 200 | 300 | पिपरिया | मनकवारा, लालू | पिपरिया | पिपरसरा | - | 35 |
| | | | | | | कोरेगांव | पोनिया, सुकरी डोभ | | डोभ | - | |
| | | | | | | कुण्डा | - | कुण्डा | सुकरी | - | |
| | | | | | | | भरवारा, पौनिया | - | मनकवारा | - | |
| | | | | | | | - | - | कोरेगांव | - | |
| | | | | | | दबकिया | दबकिया | - | लाठगांव | - | |
| | | 12 नगवारा | 50 | 100 | 100 | नगवारा | भरवारा | नगरवारा | - | - | 20 |
| | | | | | | कटकुही | कटकुही | - | तरवारा | - | |
| | | | | | | वुढ़ैना, चांदनखेड़ा | - | - | निनाई | - | |
| | | | | | | राजाकछार | राजाकछार | - | वुढ़ैना | - | |
| | | | | | | | पिपरिया मोन | - | - | - | |
| | | 13 कछवा | 50 | 50 | 100 | नादिया | - | नादिया | - | - | 15 |
| | | | | | | सिरकोना | झिरीखुर्द | झिरीकला | गढ़पहरा | - | |
| | | | | | | दौन | नोनिया | दौन | सिवनी बधा | - | |
| | | | | | | बाकली | - | - | कछवा | - | |
| | | | | | | देवनगर पुराना | देवनगर नया, बकौरी | - | - | - | |
| | | | | | | पिपरसरा | पिपरसरा | - | - | - | |
| | | | | | | सिवनी बंधा | - | - | कोहका | - | |
| | | 14 बरहटा | 100 | 200 | 800 | बरहटा | | - | बरहटा | - | 35 |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | - | नयागांव | - | |
| | | | | | | | | - | गढ़पहरा | - | |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | बेदू | बेदू | - | - | - | |
| | | | | | | रीछा | केवलारी | - | - | - | |
| | | | | | | | रीछा | | - | - | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| गोटेगाँव | गोटेगाँव | | | | | पिपरिया नोन | सांकली, बरखेड़ा | - | - | - | |
| | | | | | | सिलवानी | - | कठौतिया | - | - | |
| | | | | | | बरहटा | - | भदौर | - | - | |
| | | 15 बगासपुर | 1000 | 200 | 800 | बगासपुर | रामनिवारी | - | बगासपुर | - | 40 |
| | | | | | | चंदलौन | छांटाहाना, बकौरी | - | चंदलौन | - | |
| | | | | | | गोटेगांव खेड़ा | रामनिवारी | - | - | - | |
| | | | | | | | चिरचिटा | - | - | - | |
| | | 16 उमरिया | 100 | 50 | 50 | उमरिया | | - | उमरिया | - | 15 |
| | | | | | | भामा | लालू, लम्हेटा | - | भामा, गुर्रा | - | |
| | | | | | | | | - | पहाड़ीखेरा | - | |
| | | | | | | | | - | खुर्सीपार | - | |
| | | | | | | नगुवां | - | - | नेगुआ,धवई | - | |
| | | | | | | | | - | डुंगरिया | - | |
| | | | | | | | | - | सलैया | - | |
| | | | | | | | - | - | बम्हनी | - | |
| | | 17 डुगरिया | 25 | 50 | 50 | रोहिया | - | रोहिया | चडाल | - | |
| | | | | | | | | | डुंगरिया | - | |
| | | | | | | | | | बरगड़ा | - | 0 |
| | | | | | | खापा | पुरा | | खापा | - | |
| | | | | | | | | | शेढ़पिपरिया | - | |
| | | 18 सिलवानी | 50 | 100 | 50 | सिलवानी | - | सिलवानी, बटका | - | - | 0 |
| | | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | गाडरवारा खेड़ा | गाडरवारा खेड़ा | - | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 19 सर्रा | 50 | 200 | 300 | सर्रा | सर्रा, देवगुवां | - | लाठगांव | - | 30 |
| | | | | | | लाठगाव | | - | - | - | |
| | | | | | | कुकलाह | कुकलाह | - | - | - | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| योग | गोटेगाँव | - | 1825 | 1350 | 3350 | दबकिया | चरगुवां, महगुवां | - | - | - | |
| गाडरवारा | गाडरवारा | 20 पीपरिया | 100 | 100 | 100 | मऊ | मऊ | - | - | - | 30 |
| | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | तेन्दूखेड़ा | घघरौला | तेन्दूखेड़ा, पीपलाकछार | - | - | |
| | | | | | | मोहपानी | बिचुआ | मोहपानी, बड़ागांव | - | - | |
| | | | | | | माल्हनवाड़ा (इकलौनी) | माल्हनवाड़ा | मानेगांव, इकलोनी | - | - | |
| | | | | | | | | मल्पी | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | सिंहपुर छोटा | सिंहपुर छोटा | - | - | - | |
| | | | | | | चारगांव खुर्द | कुम्हाखेड़ा, रीछई | - | - | - | |
| | | | | | | पुआरिया | पुआरिया | - | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | पटकना | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | - | |
| | | 21 सेसाडाबर | 25 | 00 | 00 | भिलमाढाना | भिलमाढाना | भिलमाढाना, हींगपानी | | | |
| | | | | | | | डोंगराखोह | बारियाढाना | - | - | 0 |
| | | | | | | पटकुही | - | डोंगरखोह | - | - | |
| | | | | | | खला | सेसाडाबर, प्रेमपुर | सेसाडाबर, प्रेमपुर | - | - | |
| | | | | | | भैरोपुर | पापरा | पापरा | - | - | |
| | | 22 चीचली | 200 | 150 | 50 | रातीकरार | रातीकरार | रातीकरार, ऊकरी | - | - | 20 |
| | | | | | | पटकुही | पटकुही | पटकुही, किरहकोटा | - | - | |
| | | | | | | छैनाकछार बी | छैनाकछार, बांदरूवर्क | - | - | - | |
| | | | | | | गागई | गागई | - | - | - | |
| | | | | | | मऊ | कोठिया | - | - | - | |
| | | | | | | चीचली | चीचली | - | - | - | |
| | | | | | | नयाखेड़ा | नयाखेड़ा | - | - | - | |
| | | 23 बारहा | 400 | 00 | 3000 | देवरी | देवरी, झामर, सुजानपुर | पिपरिया | - | - | 50 |
| | | | | | | बैरागढ़ | भीमखेड़ी, बैरागढ़ा | बैरागढ़ | - | - | |
| | | | | | | ढाना | ढाना | - | - | - | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| | | | | | | पलैरा | रहमा, पलैरा | - | - | - | |
| | | | | | | बारछी | बारछी | - | - | - | |
| | | | | | | बारहा बड़ा | बारहा बड़ा | - | - | - | |
| | | | | | | पिपरिया | दूरसूरा | - | - | - | |
| योग | गाडरवारा | | 725 | 250 | 3150 | ग्वारी | ग्वारी, गनेशनगर, भैंसा, जामगांव | जामगांव, भैंसा, खैरी, मुकुन्दा | - | - | 15 |
| नरसिंहपुर | करेली | 24 हर्दगांव | 100 | 100 | 200 | सिमरिया कला | - | सिमरिया कला | - | - | |
| | | | | | | गोबरगाव | - | गोबरगाव, हर्दगाव | - | - | |
| | | | | | | नयाखेड़ा | नयाखेड़ा | दिलहेरी | - | - | |
| | | | | | | बासादेही | बासादेही | | - | - | |
| | | | | | | खैरी | हदमपुर | हथनापुर | - | - | 12 |
| नरसिंहपुर | | 25हिनौतिया | 50 | 100 | 200 | हिनौतिया | - | हिनौतिया | - | - | |
| | | | | | | माचामऊ | - | माचामऊ | - | - | |
| | | | | | | रमखिरिया | - | रमखिरिया | - | - | 0 |
| बोहानी | | 26 खड़ई | 50 | 500 | 00 | बेलखेड़ी | - | बेलखेड़ी | - | - | |
| | | | | | | टिकटोली | टिकटोली, माल्हनवाड़ा, थुवारी | - | - | - | |
| | | | | | | इमलिया | इमलिया | बघौरा | - | - | |
| | | | | | | धमेटा | धमेटा, भोमरा | - | - | - | |
| | | | | | | खड़ई | खड़ई, सर्रा | सावरी, निभौरा | - | - | |
| | | | | | | सिल्हेटी | विजनपुर | सिल्हेटी, भैरापुर | - | - | |
| | | | | | | खमरिया | खमरिया | - | - | - | |
| | | | | | | भैरोपुर | - | बेलखेड़ी | - | - | |
| | | | | | | शाहपुर | शाहपुर | - | - | - | |
| | | | | | | भिलमाढाना | | कोटरी | छींदखेड़ा | - | 20 |
| | | 27ग्वारीकला | 100 | 8000 | 200 | निवारी | निवारी | - | - | - | |
| | | | | | | बिचुआ | - | बिचुआ | - | - | |
| | | | | | | ग्वारी कला | - | ग्वारी कला | - | - | 10 |
| योग | करेली | | 300 | 8700 | 600 | रमपुरा | हथनी, घुघरी | रमपुरा | - | - | |
| नरसिंहपुर | बरमान | 28पीपरपानी | 50 | 500 | | पीपरपानी | जुझारी, जुड़ा | पीपरपानी | - | - | |
| | | | | | | बिजौरा | मनकवारा, बासखेड़ा | बिजौरा, खैरी | - | - | |



वनों की अग्नि से सुरक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| नरसिंहपुर | बरमान | | | | | गुंदरई | महगुंवा | - | - | - | |
| | | | | | | बिलगुवां | कुकवारा | - | - | - | |
| | | 29 रीछई | 200 | 00 | 300 | रीछई | - | रीछई | - | - | 5 |
| | | | | | | कुम्हरोड़ा | - | गुडवारा | - | - | |
| | | | | | | खमरिया | खमरिया, जमुनिया | - | - | - | |
| | | | | | | पलोहा छोटा | खला | - | - | - | |
| | | | | | | अमथनू | जूना | - | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 30सुआतला | 50 | 00 | 00 | अमथनू | चपेलू, रहली, ढाना | अमथनू | - | - | 20 |
| | | | | | | सुआतला | सुआतला | - | - | - | |
| | | | | | | बम्हनी | - | - | बम्हनी | - | |
| | | | | | | रीछई | सारसडोला | - | - | - | |
| | | | | | | बीतली | कलमेटा, बीतली | - | - | - | |
| | | | | | | गुंदरई | गुंदरई, चरगुवां | जगन्नाथपुर | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 31कुम्हरोड़ा | 50 | 00 | 00 | बिलहेरा | बिलहेरा | - | - | - | |
| | | | | | | बिचुआ | - | बिचुआ, बगदरी | - | - | 0 |
| | | | | | | कुम्हरोड़ा | बम्होरी | कुम्हरोड़ा | - | - | |
| | | | | | | गुरसी | गोकला | - | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 32 बरमान | 300 | 200 | 00 | गुरसी | - | गुरसी | - | - | 0 |
| | | | | | | मानेगांव | मानेगांव | मानेगांव | - | - | |
| | | | | | | बीकोर | बीकोर | कुडी | - | - | |
| | | | | | | हिरनपुर | - | हिरनपुर | - | - | |
| | | | | | | मिढ़ली | मिढ़ली, धरमपुरी | - | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 33तेंदूखेड़ा | 400 | 6000 | 5000 | पलोहा छोटा | पिंडरई | - | - | - | |
| | | | | | | ढिलवार | ढिलवार, पीपरपानी | - | - | - | 5 |
| | | | | | | सागौनी | सागौनी, भौरपानी | आलनपुर, जामुनपानी | - | - | |
| | | | | | | तेंदूखेड़ा | तेंदूखेड़ा | | - | - | |
| | | | | | | मरांवन | मरांवन, सकरेडी | महुआखेडा बम्हनी | - | - | |
| | | योग | 1050 | 6100 | 5300 | रमपुरा | घूपखेड़ा | | - | - | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

| विधानसभा क्षेत्र | परिक्षेत्र का नाम | निस्तार डिपो का नाम | अनुमानित बल्ली सागौन | उपलब्धता बांस निस्तारी | बांस बसोड़ी | डिपो से संलग्न पंचायत का नाम | पंचायत के अंतर्गत (केवल वनसीमा से 5 कि.मी. के भीतर ग्रामों हेतु) | | | | बसोड़ परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ग्राम | ग्रा.व.स. | व.सु.स. | ई.वि.स. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| | | | | | | खमरिया | - | खमरिया | - | - | |
| | | | | | | इमलिया | इमलिया | | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 34 हीरापुर | 50 | 00 | 00 | हीरापुर | कुरैला | हीरापुर | - | - | 1 |
| | | | | | | बंदरोहा | - | - | - | बंदरोहा | विक्रमपुर |
| | | | | | | अमोदा | - | अमोदा, रोहणी | - | - | |
| | | | | | | बगदरा | खापा | - | - | - | |
| | | | | | | घूरपुर | झामर | - | - | - | |
| | | | | | | करहैया | खैरी | - | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 35 ढाना | 50 | 00 | 00 | ढाना | - | - | - | ढाना | 0 |
| | | | | | | ढाना | गुडवारा, ढाना | - | - | - | |
| | | | | | | ढाना | - | - | - | मलकुही | |
| | | | | | | | | | - | आमापानी | |
| | | | | | | करहैया | खैरी | - | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 36सरसला | 25 | 00 | 300 | सरसेला | - | सरसेला, रमखिरिया | - | - | 17 |
| | | | | | | रमपुरा | समनापुर | रमपुरा | - | - | |
| | | | | | | करपानी | - | करपानी | - | - | |
| | | | | | | बधी | बिचुआखेड़ा | बधी | - | - | |
| | | | | | | पिठेहरा | - | पिठेहरा | - | - | |
| | | | | | | करहैया | खैरी | | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 37 बिल्धा | 25 | 00 | 400 | मुर्गाखेड़ा | मुर्गाखेड़ा, चौराखेड़ा | बिल्धा | - | - | 20 |
| | | | | | | पिठेहरा | बारूरेवा | | - | - | |
| | | | | | | डोंगरगांव | - | डोंगरगांव | - | - | |
| नरसिंहपुर | | 38डोंगरगाव | 25 | 00 | 50 | खापा | खापा, महका | - | - | - | |
| | | | | | | ढाना | मेहगांव | - | - | हांडीकाट | 1 |
| | | | | | | डोंगरगांव | डोंगरगांव (नर्मदा) | - | - | - | |
| महायोग वनमंडल का | | | 5700 | 19450 | 18450 | | | | | | |



वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए।

# परिशिष्ट क्रमांक – 3

## केन्द्रीय डिपो की सूची

(केवल वनसीमा से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर के ग्राम पंचायतों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु)

| अनुमानित मात्रा | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनु. | केन्द्रीय डिपो का नाम | बल्ली | बांस बाजार | बांस बसोड़ी | जलाऊ लकड़ी (चट्टो में) | विक्रय दिवस | विक्रय करने वाले कर्मचारी का पद | बसोड़ परिवार संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | गोटेगांव | 1000 | 5000 | 12000 | 200 | गुरूवार, शुक्रवार | वनपाल | 200 |
| 2 | नरसिंहपुर | 1200 | 5000 | 16000 | 200 | सोमवार, मंगलवार | वनपाल | 300 |
| 3 | करेली | 800 | 5000 | 15000 | 100 | मंगलवार, बुधवार | वनपाल | 208 |
| 4 | गाडरवारा | 800 | 5000 | 15000 | 150 | सोमवार, मंगलवार | वनपाल | 180 |
| 5 | बरमान | 500 | 5000 | 15000 | 150 | मंगलवार, शुक्रवार | वनपाल | 35 |
| योग - | | 4300 | 25000 | 73000 | 800 | - | | 923 |



वनों की अवैध कटाई से सुरक्षा कीजिए।

# परिशिष्ठ क्रमांक 4

## चराई प्रतिबंधित क्षेत्र

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | चयन सह सुधार कार्य वृत्त | | |
| 1 | बरमान | 2011-2012 | I मरवाह 341 | 61.14 | ग्रा.व.स.जामुनपानी |
| | | | सुधार कार्य वृत्त | | |
| 2 | बरमान | 2011-2012 | I बंधा P 362 | 68.89 | ग्रा.व.स. |
| 3 | बरमान | 2011-2012 | I रमपुरा P 348 | 67.56 | रमपुरा ग्रा.व.स. |
| 4 | बरमान | 2011-2012 | I जामुनपानी P 340 | 62.97 | जामुनपानी ग्रा.व.स. |
| | | | बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त | | |
| 5 | बरमान | 2011-2012 | I घोघरी सिंगोटा P 349 | 61.00 | रमपुरा ग्रा.व.स. |
| 6 | बरमान | 2011-2012 | I जुझारी P 352 | 46.15 | बिजौरा ग्रा.व.स. |
| 7 | बरमान | 2011-2012 | I चौकी P 353 | 45.59 | खैरी ग्रा.व.स. |
| 8 | बरमान | 2011-2012 | I जगन्नाथपुर P 354 | 34.63 | जगन्नाथपुर ग्रा.व.स. |
| 9 | बरमान | 2011-2012 | I सुआतला P 356 | 30.77 | रहली ग्रा.व.स. |
| 10 | बरमान | 2011-2012 | I केरपानी P 378 | 34.52 | पिठहरा ग्रा.व.स. |
| 11 | बरमान | 2011-2012 | I रीछई P 454 | 33.22 | कुम्हरोड़ा ग्रा.व.स. |
| 12 | बरमान | 2011-2012 | I बगदरी P 368 | 39.90 | बगदरी ग्रा.व.स. |
| 13 | बरमान | 2011-2012 | I हिरापुर P 371 | 31.60 | हिरनपुर ग्रा.व.स. |
| 14 | बरमान | 2011-2012 | I मानेगांव P 372 | 75.52 | मानेगाँव ग्रा.व.स. |
| | | | संरक्षण कार्यवृत्त | | |
| 15 | बरमान | 2011-2012 | I बम्हनी P 361 | 69.64 | बम्हनी ग्रा.व.स. |
| 16 | बरमान | 2011-2012 | I गनेशगंज P 363 | 66.82 | रीछई ग्रा.व.स. |
| 17 | बरमान | 2011-2012 | I रोहणी P 383 | 86.38 | रोहणी ग्रा.व.स. |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 18 | बरमान | 2012-2013 | II गुढवारा P 359 | 145.000 | बम्हनी |
| 19 | बरमान | 2012-2013 | II रजगढ़ा P 349 | 85.000 | रम्पुरा |
| 20 | बरमान | 2012-2013 | II जामुनपानी P 341 | 78.250 | जामुनपानी |
| 21 | बरमान | 2012-2013 | बाँस रोपण | | |
| | | | बाँस रोपण हिरनपुर P 372 | 25.000 | मानेगाँव |
| | | | **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 22 | बरमान | 2012-2013 | II मर्रावन P 342 | 47.00 | जामुनपानी |
| | | | **सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 23 | बरमान | 2012-2013 | II बंधी P 362 | 54.00 | खमरिया |
| 24 | बरमान | 2012-2013 | II रमपुरा P 348 | 58.00 | रमपुरा |
| 25 | बरमान | 2012-2013 | II जामुनपानी P 339 | 40.00 | जामुनपानी |
| | | | **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | |
| 26 | बरमान | 2012-2013 | II घोघरी सिंगोटा P 349 | 60.00 | रमपुरा |
| 27 | बरमान | 2012-2013 | II जुझारी P 352 | 33.00 | बिजौरा |
| 28 | बरमान | 2012-2013 | II चौकी P 353 | 32.00 | खैरी |
| 29 | बरमान | 2012-2013 | II जगन्नाथपुर P 354 | 33.00 | जगन्नाथपुर |
| 30 | बरमान | 2012-2013 | II सुआतला P 356 | 40.00 | रहली |
| 31 | बरमान | 2012-2013 | II केरपानी P 378 | 38.00 | पिठहरा |
| 32 | बरमान | 2012-2013 | II रीछई P 454 | 30.00 | कुम्हरोड़ा |
| 33 | बरमान | 2012-2013 | II बगदरी P 368 | 43.00 | बगदरी |
| 34 | बरमान | 2012-2013 | II हिरणपुर P 371 | 20.00 | हिरनपुर |
| 35 | बरमान | 2012-2013 | II मानेगांव P 372 | 87.00 | मानेगाँव |
| | | | **संरक्षण कार्यवृत्त** | | |
| 36 | बरमान | 2012-2013 | II बम्हनी P 361 | 96.00 | बम्हनी |
| 37 | बरमान | 2012-2013 | II गनेशगंज P 363 | 83.00 | रीछई |
| 38 | बरमान | 2012-2013 | II रोहीणी P 382 | 67.00 | रोहणी |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **औषधि वन क्षेत्र** | | | | | |
| 39 | बरमान | 2012-2013 | II जगन्नाथपुर P 354 | 45.00 | जगन्नाथपुर |
| 40 | बरमान | 2012-2013 | II धरमपुरी P 374 | 35.00 | मानेगांव |
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 41 | बरमान | 2013-2014 | III मरवाह 341 | 46.28 | ग्राम वन समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 42 | बरमान | 2013-2014 | III बंधा P 365 | 49.42 | ग्राम वन समिति |
| 43 | बरमान | 2013-2014 | III रम्पुरा P 450/451 | 19.83 | ग्राम वन समिति |
| 44 | बरमान | 2013-2014 | III जामुनपानी P 340 | 41.17 | ग्राम वन समिति |
| | | | | 60.76 | ग्राम वन समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 45 | बरमान | 2013-2014 | III घोघरी सिघोटा P 349 | 51.93 | ग्राम वन समिति |
| 46 | बरमान | 2013-2014 | III चौकी -P 353 | 65.10 | ग्राम वन समिति |
| 47 | बरमान | 2013-2014 | III जुझारी 397 | 37.92 | ग्राम वन समिति |
| 48 | बरमान | 2013-2014 | III जगन्नाथ P 354 | 31.84 | ग्राम वन समिति |
| 49 | बरमान | 2013-2014 | III सुआतला P 356 | 52.61 | ग्राम वन समिति |
| 50 | बरमान | 2013-2014 | III केरपानी P 378 | 32.80 | ग्राम वन समिति |
| 51 | बरमान | 2013-2014 | III रीछाई P 454 | 36.58 | ग्राम वन समिति |
| 52 | बरमान | 2013-2014 | III बगदरी P 368 | 32.51 | ग्राम वन समिति |
| 53 | बरमान | 2013-2014 | III हीरापुर P 371 | 23.20 | ग्राम वन समिति |
| 54 | बरमान | 2013-2014 | III मानेगाँव P 371 | 91.45 | ग्राम वन समिति |
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 55 | बरमान | 2013-2014 | III बम्हनी P 360 | 87.83 | ग्राम वन समिति |
| 56 | बरमान | 2013-2014 | III गनेशगंज P 363 | 50.58 | ग्राम वन समिति |
| 57 | बरमान | 2013-2014 | III रोहनी P 382 | 77.45 | ग्राम वन समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 58 | बरमान | 2014-2015 | IV बंधा P 455 | 53.43 | ग्राम वन समिति कुम्हरोड़ा |
| 59 | बरमान | 2014-2015 | IV रमपुरा P 450 | 54.62 | ग्राम वन समिति आलनपुर |
| 60 | बरमान | 2014-2015 | IV जामुनपानी P 340 | 69.74 | ग्राम वन समिति महुआखेड़ा |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 61 | बरमान | 2014-2015 | IV घोघरी सिघोटा P 349 | 63.94 | रम्पुरा ग्राम वन समिति |
| 62 | बरमान | 2014-2015 | IV जुझारी 397 | 53.91 | बिजौरा ग्राम वन समिति |
| 63 | बरमान | 2014-2015 | IV चौकी P 353 | 34.58 | खैरी ग्राम वन समिति |
| 64 | बरमान | 2014-2015 | IV जगन्नाथपुर P 354 | 32.93 | जगन्नाथपुर ग्राम वन समिति |
| 65 | बरमान | 2014-2015 | IV सुआतला P 356 | 73.79 | अमथनू ग्राम वन समिति |
| 66 | बरमान | 2014-2015 | IV केरपानी P 378 | 24.40 | पिठहरा ग्राम वन समिति |
| 67 | बरमान | 2014-2015 | IV रीछई P 454 | 43.76 | कुम्हरोड़ा ग्राम वन समिति |
| 68 | बरमान | 2014-2015 | IV बगदरी P 368 | 41.15 | बगदरी ग्राम वन समिति |
| 69 | बरमान | 2014-2015 | IV हिरापुर P 371 | 22.91 | हिरनपुर ग्राम वन समिति |
| 70 | बरमान | 2014-2015 | IV मानेगांव P 372 | 63.31 | मानेगाँव ग्राम वन समिति |
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 71 | बरमान | 2014-2015 | IV बम्हनी P 360 | 81.77 | बम्हनी वन सुरक्षा समिति |
| 72 | बरमान | 2014-2015 | IV गनेशगंज P 363 | 57.72 | रीछई ग्राम वन समिति |
| 73 | बरमान | 2014-2015 | IV रोहनी P 379 | 16.31 | बिल्धा ग्राम वन समिति |
| 74 | | | P 458 | 77.24 | डोंगरगाँव ग्राम वन समिति |
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 75 | बरमान | 2015-2016 | V मरवाह 342 | 58.10 | ग्राम वन समिति जामुनपानी |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 76 | बरमान | 2015-2016 | V बंधा P 455 | 65.96 | ग्राम वन समिति |
| 77 | बरमान | 2015-2016 | V रमपुरा P 347 | 79.60 | ग्राम वन समिति रमपुरा |
| 78 | बरमान | 2015-2016 | V जामुनपानी P 343 | 70.50 | ग्राम वन समिति जामुनपानी |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त | | | | | |
| 79 | बरमान | 2015-2016 | V घोघरी सिघोटा P 349 | 62.10 | ग्राम वन समिति रम्पुरा |
| 80 | बरमान | 2015-2016 | V जुझारी P352 | 26.43 | ग्राम वन समिति बिजौरा |
| 81 | बरमान | 2015-2016 | V चौकी P 353 | 34.94 | ग्राम वन समिति खैरी |
| 82 | बरमान | 2015-2016 | V जगन्नाथपुर P 354 | 32.80 | ग्राम वन समिति जगन्नाथपुर |
| 83 | बरमान | 2015-2016 | V सुआतला P 357 | 65.95 | ग्राम वन समिति अमथनू |
| 84 | बरमान | 2015-2016 | V केरपानी P 378 | 77.16 | ग्राम वन समिति पिठहरा |
| 85 | बरमान | 2015-2016 | V रीछई P 454 | 31.20 | ग्राम वन समिति कुम्हरोड़ा |
| 86 | बरमान | 2015-2016 | V बगदरी P 368 | 42.75 | ग्राम वन समिति बगदरी |
| 87 | बरमान | 2015-2016 | V हिरनपुर P 371 | 20.97 | ग्राम वन समिति हिरनपुर |
| 88 | बरमान | 2015-2016 | V मानेगांव P 372 | 72.74 | ग्राम वन समिति मानेगाँव |
| संरक्षण कार्य वृत्त | | | | | |
| 89 | बरमान | 2015-2016 | V बम्हनी P 360 | 74.79 | वन सुरक्षा समिति बम्हनी |
| 90 | बरमान | 2015-2016 | V गनेशगंज P 364 | 68.55 | ग्राम वन समिति रीछई |
| 91 | बरमान | 2015-2016 | V रोहनी P 456 | 49.92 | ग्राम वन समिति बिल्धा |
| संरक्षण कार्यवृत्त | | | | | |
| 92 | करेली | 2011-2012 | I बिनैकी P 189 | 73.02 | दिलहैरी ग्रा.व.स. |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कक्ष नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त | | |
| 93 | करेली | 2011-2012 | I हिनौतिया P 167 | 49.43 | हिनौतिया ग्रा.व.स. |
| 94 | करेली | 2011-2012 | I मोहगांव P 172 | 38.50 | ग्वारीकला ग्रा.व.स. |
| 95 | करेली | 2011-2012 | I हर्दगाँव P 193 | 42.43 | दिल्हेरी ग्रा.व.स. |
| 96 | करेली | 2011-2012 | I सिमरिया 177 | 53.39 | सिमरिया ग्रा.व.स. |
| 97 | करेली | 2011-2012 | I सलैया 392 | 35.74 | बरखेड़ा ग्रा.व.स. |
| 98 | करेली | 2011-2012 | I विजनपुर 446 | 32.30 | सिल्हेटी ग्रा.व.स. |
| | | | संरक्षण कार्य वृत्त | | |
| 99 | करेली | 2011-2012 | I ग्वारीकला 173 | 75.11 | ग्वारीकला ग्रा.व.स. |
| 100 | करेली | 2011-2012 | I छिरवाचकरपाट P 180 | 88.49 | सिमरिया ग्रा.व.स. |
| 101 | करेली | 2011-2012 | I दिल्हेरी P 191 | 77.91 | दिल्हेरी ग्रा.व.स. |
| 102 | करेली | 2011-2012 | I खमरिया P 190 | 69.12 | हथनापुर ग्रा.व.स. |
| 103 | करेली | 2011-2012 | I हथनापुर P 205 | 79.35 | सांवरी ग्रा व.स. |
| 104 | करेली | 2011-2012 | I भौबरी P 208 | 45.38 | भौमरी ग्रा.व.स. |
| 105 | करेली | 2011-2012 | I पिटनानदी P 213 | 65.25 | छींदखेड़ा व.सु.स. |
| 106 | करेली | 2011-2012 | I छीदखेड़ा P237 | 66.95 | छींदखेड़ा व.सु.स. |
| 107 | करेली | 2011-2012 | I कोटरी P 215 | 73.31 | कोटरी व.सु.स. |
| 108 | करेली | 2011-2012 | I श्री जोतनाला P 216 | 76.38 | छींदखेड़ा व.सु.स. |
| 109 | करेली | 2011-2012 | I सांवरी | 103.84 | सांवरी व.सु.स. |
| 110 | करेली | 2011-2012 | I पिपरिया टोला | 75.66 | बरखेड़ा व.सु.स. |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 111 | करेली | 2012-2013 | II बिनैकी P 189 | 65.000 | दिलहेरी |
| | | | **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | |
| 112 | करेली | 2012-2013 | II हिनौतिया P 167 | 59.00 | बिचुआ |
| 113 | करेली | 2012-2013 | II मोहगांव P 172 | 36.00 | ग्वारीकला |
| 114 | करेली | 2012-2013 | II हर्दगाँव P 193 | 55.00 | दिल्हेरी |
| 115 | करेली | 2012-2013 | II सिमरिया 177 | 49.00 | सिमरिया |
| 116 | करेली | 2012-2013 | II सलैया 392 | 39.00 | बरखेड़ा |
| 117 | करेली | 2012-2013 | II विजनपुर 446 | 22.00 | सिल्हेटी |
| | | | **संरक्षण कार्य वृत्त** | | |
| 118 | करेली | 2012-2013 | II ग्वारीकला 173 | 39.00 | ग्वारीकला |
| 119 | करेली | 2012-2013 | II छिरवाचकरपाट P 180 | 91.00 | सिमरिया |
| 120 | करेली | 2012-2013 | II दिल्हेरी P 191 | 56.00 | दिल्हेरी |
| 121 | करेली | 2012-2013 | II ग्रा.,रि.I P 190 | 50.00 | हथनापुर |
| 122 | करेली | 2012-2013 | II हथनापुर P 205 | 60.00 | सांवरी |
| 123 | करेली | 2012-2013 | II भौभरी P 207 | 46.00 | भौमरी |
| 124 | करेली | 2012-2013 | II पिटनानदी P 212 | 67.00 | छीदखेड़ा |
| 125 | करेली | 2012-2013 | II छीदखेड़ा P236 | 70.00 | छीदखेड़ा |
| 126 | करेली | 2012-2013 | II कोटरी P 215 | 85.00 | कोटरी |
| 127 | करेली | 2012-2013 | II श्री द्रोण,नाला P 217 | 77.00 | छीदखेड़ा |
| 128 | करेली | 2012-2013 | II सांवरी P 230 | 68.00 | सांवरी |
| 129 | करेली | 2012-2013 | II पिपरिया टोला P 226 | 82.00 | बरखेड़ा |

 वनों की अग्नि से सुरक्षा कीजिए।

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 130 | करेली | 2013-2014 | III बिनैकी P 189 | 78.03 | ग्राम वन समिति |
| | | | **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | |
| 131 | करेली | 2013-2014 | III हिनौतिया P 167 | 39.71 | ग्राम वन समिति |
| 132 | करेली | 2013-2014 | III मोहगांव P 172 | 48.07 | ग्राम वन समिति |
| 133 | करेली | 2013-2014 | III हर्दगाँव P 194 | 31.90 | ग्राम वन समिति |
| 134 | करेली | 2013-2014 | III सिमरिया 177 | 57.58 | ग्राम वन समिति |
| 135 | करेली | 2013-2014 | III सलैया 392 | 43.51 | ग्राम वन समिति |
| 136 | करेली | 2013-2014 | III विजनपुर 446 | 34.99 | ग्राम वन समिति |
| | | | **संरक्षण कार्य वृत्त** | | |
| 137 | करेली | 2013-2014 | III ग्वारीकला 173 | 51.24 | ग्राम वन समिति |
| 138 | करेली | 2013-2014 | III छिरवाचकरपाट P 174 | 80.16 | ग्राम वन समिति |
| 139 | करेली | 2013-2014 | III दिल्हेरी P 191 | 100.86 | ग्राम वन समिति |
| 140 | करेली | 2013-2014 | III खमरिया P 190 | 48.64 | ग्राम वन समिति |
| 141 | करेली | 2013-2014 | III हथनापुर P 204 | 77.79 | ग्राम वन समिति |
| 142 | करेली | 2013-2014 | III भौभरी P 207 | 63.49 | ग्राम वन समिति |
| 143 | करेली | 2013-2014 | III पिटनानदी P 212 | 67.29 | ग्राम वन समिति |
| 144 | करेली | 2013-2014 | III छीन्दखेड़ा P 273 | 65.93 | ग्राम वन समिति |
| 145 | करेली | 2013-2014 | III कोटरी P 215 | 81.25 | ग्राम वन समिति |
| 146 | करेली | 2013-2014 | III श्री जोतनाला P 217 | 77.71 | ग्राम वन समिति |
| 147 | करेली | 2013-2014 | III सांवरी P 231 | 75.88 | ग्राम वन समिति |
| 148 | करेली | 2013-2014 | III पिपरिया टोला P 226 | 84.77 | ग्राम वन समिति |
| | | | **सुधार कार्यवृत्त** | | |
| 149 | करेली | 2014-2015 | IV विनेकी P223 | 66.14 | निभौरा ग्राम वन समिति |
| | | | **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | |
| 150 | करेली | 2014-2015 | IV हिनौतिया P 165 | 43.79 | बिचुआ ग्राम वन समिति |
| 151 | करेली | 2014-2015 | IV मोहगांव P 172 | 43.44 | ग्वारीकला ग्राम वन समिति |
| 152 | करेली | 2014-2015 | IV हर्दगांव P 194 | 32.57 | बांद्राग्वारी ग्राम वन समिति |
| 153 | करेली | 2014-2015 | IV सिमरिया P 437 | 26.23 | सिमरिया ग्राम वन समिति |
| 154 | | | P 390 | 15.39 | सिमरिया ग्राम वन समिति |
| 155 | करेली | 2014-2015 | IV सलैया 392 | 36.27 | भैरोपुर ग्राम वन समिति |
| 156 | करेली | 2014-2015 | IV बिजनपुर 446 | 27.55 | सिल्हेटी ग्राम वन समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 157 | करेली | 2014-2015 | IV ग्वारीकला 173 | 84.73 | ग्वारीकला ग्राम वन समिति |
| 158 | करेली | 2014-2015 | IV छिरवाचकरपाट P174 | 59.28 | ग्वारीकला ग्राम वन समिति |
| 159 | करेली | 2014-2015 | IV दिल्हेरी P 192 | 74.60 | दिल्हेरी ग्राम वन समिति |
| 160 | करेली | 2014-2015 | IV खमरिया P 196 | 43.19 | हथनापुर ग्राम वन समिति |
| 161 | करेली | 2014-2015 | IV हथनापुर P 204 | 90.11 | खड़ई ग्राम वन समिति |
| 162 | करेली | 2014-2015 | IV भोवरी P 209 | 68.28 | भौभरी वन सुरक्षा समिति |
| 163 | करेली | 2014-2015 | IV पिटना नदी P 212 | 75.00 | छींदखेड़ा वन सुरक्षा समिति |
| 164 | करेली | 2014-2015 | IV छींदखेड़ा P 237 | 64.59 | छींदखेड़ा वन सुरक्षा समिति |
| 165 | करेली | 2014-2015 | IV कोटरी P 215 | 71.83 | कोटरी वन सुरक्षा समिति |
| 166 | करेली | 2014-2015 | IV श्रीजोतनाला P 217 | 54.71 | कोटरी वन सुरक्षा समिति |
| 167 | करेली | 2014-2015 | IV सांवरी P 231 | 73.01 | सांवरी वन सुरक्षा समिति |
| 168 | करेली | 2014-2015 | IV पिपरिया टोला 226 | 69.29 | बरखेड़ा वन सुरक्षा समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 169 | करेली | 2015-2016 | V बिनैकी P 223 | 76.44 | ग्राम वन समिति निभौरा |
| **बिगडे वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 170 | करेली | 2015-2016 | V हिनौतिया P 165 | 35.07 | ग्राम वन समिति विचुआ |
| 171 | करेली | 2015-2016 | V मोहगांव P 172 | 47.49 | ग्राम वन समिति ग्वारीकला |
| 172 | करेली | 2015-2016 | V हर्दगाँव P 193 | 38.98 | ग्राम वन समिति बांद्रग्वारी |
| 173 | करेली | 2015-2016 | V सिमरिया 390 | 57.65 | ग्राम वन समिति सिमरिया |
| 174 | करेली | 2015-2016 | V सलैया 445 | 40.93 | ग्राम वन समिति भैरोपुर |
| 175 | करेली | 2015-2016 | V विजनपुर 446 | 32.00 | ग्राम वन समिति सिल्हेटी |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | संरक्षण कार्य वृत्त | | |
| 176 | करेली | 2015-2016 | V ग्वारीकला 173 | 64.80 | ग्रा.व.स. ग्वारीकला |
| 177 | करेली | 2015-2016 | V छिरवाचकरपाट P 175 | 102.93 | ग्रा.व.स. ग्वारीकला |
| 178 | करेली | 2015-2016 | V दिल्हेरी P 192 | 75.80 | ग्रा.व.स. दिल्हेरी |
| 179 | करेली | 2015-2016 | V खमरिया P 196 | 43.16 | ग्रा.व.स. हथनापुर |
| 180 | करेली | 2015-2016 | V हथनापुर P 204 | 116.03 | ग्रा.व.स. खड़ई |
| 181 | करेली | 2015-2016 | V भौभरी P 206 | 67.00 | वन सुरक्षा स. भौमरी |
| 182 | करेली | 2015-2016 | V पिटनानदी P 212 | 79.90 | वन सुरक्षा स.छींदखेड़ा |
| 183 | करेली | 2015-2016 | V छीन्दखेड़ा P 273 | 56.43 | वन सुरक्षा स.छींदखेड़ा |
| 184 | करेली | 2015-2016 | V कोटरी P 215 | 69.97 | वन सुरक्षा स. कोटरी |
| 185 | करेली | 2015-2016 | V श्री जोतनाला P 217 | 66.44 | वन सुरक्षा स. कोटरी |
| 186 | करेली | 2015-2016 | V सांवरी P 220 | 71.47 | वन सुरक्षा स. सांवरी |
| 187 | करेली | 2015-2016 | V पिपरिया टोला P 224 | 64.43 | वन सुरक्षा स. बरखेड़ा |
| | | | बिगड़े वनों का सुधार प्र.वृ. | | |
| 188 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 खापा P 72 | 40.74 | खापा ग्राम वन समिति |
| 189 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 75 | 22.14 | घोघरी व.सु.स. |
| 190 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 77 | 49.92 | घोघरी व.सु.स. |
| 191 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 94 | 40.00 | पाठा ग्रा.व.स. |
| 192 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 95 | 68.83 | लवेरी ग्रा.व.स. |
| 193 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 93 | 38.89 | पांजरा |
| 194 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 84 | 68.50 | मढ़पिपरिया |
| 195 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 91 | 42.01 | भालपानी |
| 196 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 87 | 68.41 | भडारदेव ग्रा.व.स. |
| 197 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 88 | 34.11 | बचई |
| 198 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 142 | 17.91 | बरपानी ग्रा.व.स. |
| 199 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 132 | 56.62 | जमुनिया |
| 200 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P- 111 | 38.72 | मुड़रई |
| 201 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 99 | 35.86 | विक्रम नगर |
| 202 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 113 | 81.40 | जमुनिया |
| 203 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 122 | 31.83 | चार बहेरिया |
| 204 | नरसिंहपुर | 2011-2012 | 1 P-121 | 31.34 | जोगीटोला |
| | | | चयन सह सुधार कार्यवृत्त | | |
| 205 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | 11 जामुन झिरिया 135 | 61.00 | गौर छामर |
| 206 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | 11 ऊसरी 156 | 60.00 | पीपरपानी |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 207 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II लिघारी 74 | 47.00 | कटकुही |
| 208 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II पस्ताना P 102 | 62.00 | पिंडरई |
| 209 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बिजौरी 110 | 44.00 | पाला मुंडरई |
| 210 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II इमझिरी 107 | 48.00 | बचई |
| 211 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II सिंगौड़ी 143 | 53.00 | किसलई |
| 212 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II रातामाटी 389 | 35.00 | उसरी |
| 213 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बढ़ैना 123 | 53.00 | बुढ़ैना |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 214 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II खापा 71 | 33.00 | खापा |
| 215 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II घोघरा 75 | 28.00 | घोघरा |
| 216 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II भौती 77 | 37.00 | डुडवारा |
| 217 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II पाठापुरा 94 | 47.00 | बोरिया |
| 218 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II लवेरी भुमका 95 | 69.00 | डुगरिया |
| 219 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II पाजरा P 82 | 79.00 | मुंगवानी टोला |
| 220 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II मढ़ पिपरिया 84 | 58.00 | मढ़ पिपरिया |
| 221 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II भड़ारदेव 91 | 35.00 | बकोरी |
| 222 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बंवरिया 87 | 69.00 | मढ़ पिपरिया |
| 223 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बचई P 88 | 29.00 | बचई |
| 224 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बरपानी P 142 | 25.00 | गंगई |
| 225 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II जमुनिया P 132 | 22.00 | जमुनिया |
| 226 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II पाला मुड़रई 111 | 61.00 | मुड़रई |
| 227 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II विक्रम नगर 99 | 28.00 | पांजरा |
| 228 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बिचुआ 113 | 82.00 | पिपरिया |
| 229 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II कान्हा उदल 122 | 40.00 | कान्हा उदल |
| 230 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II जोगीटोला P 121 | 33.00 | जोगीटोला |
| 231 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II गाडरवारा खेड़ा P 83 | 60.00 | कैंकरा |
| 232 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II बड़गुवां P 89 | 34.00 | बचई |
| 233 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II पीपरपानी P 160 | 67.00 | जैतपुर |
| 234 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II गंगई 140 | 33.00 | धवई टपरिया |
| 235 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II डुंगरिया 127 | 34.00 | कोदारास |
| 236 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II चारबहेरिया 126 | 29.00 | चारवहेरिया |
| 237 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II चांवरपाठा 133 | 50.00 | गोरखपुर |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 238 | नरसिंहपुर | 2012-2013 | II सर्रा | 64.00 | सर्रा |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 239 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III जामुन झिरिया 135 | 69.24 | जामुन झिरिया |
| 240 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III ऊसरी 156 | 61.46 | पीपरपानी |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 241 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III लिघारी 74 | 45.86 | डुडवारा |
| 242 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III पस्ताना P 102 | 77.06 | पिंडरई |
| 243 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बिजौरी 110 | 71.04 | मुंडरई |
| 244 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III इमझिरी 141 | 83.04 | गगई |
| 245 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III सिंगौड़ी 143 | 59.68 | किसलई |
| 246 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III रातामाटी P136 | 43.90 | ऊसरी |
| 247 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बढ़ैना 123 | 53.15 | बुढ़ैना |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 248 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III खापा 71 | 38.49 | कटकुही |
| 249 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III घोघरा 75 | 41.11 | घोघरा |
| 250 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III भौती 77 | 30.40 | लिघारी |
| 251 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III पाठापुरा P 94 | 44.18 | बोरिया |
| 252 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III लवेरी भुमका P 95 | 51.27 | पुरा |
| 253 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III पाजरा P 82 | 28.97 | मुगवानी टोला |
| 254 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III मढ़ पिपरिया 85 | 53.23 | मढ़ पिपरिया |
| 255 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III भड़ारदेव 91 | 52.72 | बकोरी |
| 256 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बवरिया 87 | 63.86 | कन्हारपानी |
| 257 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बचई P 88 | 29.89 | बचई |
| 258 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बरपानी 142 | 18.72 | गंगई |
| 259 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III जमुनिया P 132 | 41.95 | जमुनिया |
| 260 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III पाला मुड़रई P 137 | 62.40 | ऊसरी |
| 261 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III विक्रम नगर 99 | 18.87 | विक्रमनगर |
| 262 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बिचुआ 143 | 75.02 | पिपरिया |
| 263 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III कान्हा उदल 122 | 20.98 | कान्हा उदल |
| 264 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III जोगीटोला P 121 | 35.45 | जोगीटोला |
| 265 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III गाडरवारा खेड़ा P 83 | 29.98 | कैंकरा |
| 266 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III बड़गुवां 89 | 36.82 | बचई |
| 267 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III पीपरपानी P 160 | 57.20 | जैतपुर |
| 268 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III गंगई 140 | 63.75 | धवई टपरिया |
| 269 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III डुंगरिया 127 | 28.63 | कोदारास |
| 270 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III चारबहेरिया 126 | 25.16 | चारबहेरिया |
| 271 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III चांवरपाठा 133 | 41.92 | गोरखपुर |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 272 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III सर्रा 177 | 106.88 | सर्रा |
| 273 | नरसिंहपुर | 2013-2014 | III गोरखपुर P 125 | 118.96 | बुढ़ैना |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 274 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV जामुन झिरिया 152 | 50.46 | जामुनझिरिया ग्रा.व.स. |
| 275 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV ऊसरी 156 | 64.02 | पीपरपानी ग्राम वन समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 276 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV लिघारी 74 | 48.03 | डुडवारा ग्राम वन समिति |
| 277 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV पस्थाना P 104 | 87.51 | भालपानी ग्राम वन समिति |
| 278 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बिजोरी 110 | 68.53 | मुंडरईकला ग्राम वन समिति |
| 279 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV इमझिरी 141 | 74.80 | गंगाई ग्राम वन समिति |
| 280 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV सिघोड़ी 143 | 57.98 | किसलई ग्राम वन समिति |
| 281 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV रातामाटी P136 | 45.11 | ऊसरी ग्राम वन समिति |
| 282 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बुढैना 123 | 47.86 | बुढ़ैना ग्राम वन समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 283 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV खापा 71 | 50.39 | कटकुही ग्राम वन समिति |
| 284 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV घोघरा 75 | 42.55 | घोघरा वन सुरक्षा समिति |
| 285 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV भोती 77 | 41.66 | लिघारी ग्राम वन समिति |
| 286 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV पाठापुरा P94 | 67.45 | बोरिया ग्राम वन समिति |
| 287 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV लवेरीभुमका P95 | 74.78 | पुरा ग्राम वन समिति |
| 288 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV पांजरा 100 | 42.48 | पांजरा वन सुरक्षा समिति |
| 289 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV मठपिपरिया 85 | 34.55 | मढ़पिपरिया ग्राम वन समिति |
| 290 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV भंडारदेव 91 | 42.70 | बकौरी ग्राम वन समिति |
| 291 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV धबरिया 87 | 42.86 | कन्हारपानी ग्राम वन समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े वनों का पुनस्थापित कार्यवृत्त** | | | | | |
| 292 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बचई P 88 | 32.84 | बचई ग्राम वन समिति |
| 293 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बरपानी 142 | 22.65 | गंगाई ग्राम वन समिति |
| 294 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV जमुनिया P 132 | 50.63 | जमुनिया ग्राम वन समिति |
| 295 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV पाला मुंडरई P 137 | 55.36 | ऊसरी ग्राम वन समिति |
| 296 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV विक्रमनगर 99 | 35.83 | विक्रमनगर वन सुरक्षा समिति |
| 297 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बिछुआ 113 | 65.36 | पिपरिया ग्राम वन समिति |
| 298 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV कानाउदल 122 | 26.67 | कान्हाउदल ग्राम वन समिति |
| 299 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV जोगीटोला P 121 | 40.35 | खमरिया ग्राम वन समिति |
| 300 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV गाडरवाड़ा खेड़ा P 83 | 60.50 | केंकरा ग्राम वन समिति |
| 301 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV बड़गुवां 89 | 00.13 | बचई ग्राम वन समिति |
| 302 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV पीपरपानी P 160 | 54.76 | जैतपुर ग्राम वन समिति |
| 303 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV गंगई 140 | 46.95 | गंगाई वन सुरक्षा समिति |
| 304 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV डुंगरिया 127 | 40.29 | कोदरास ग्राम वन समिति |
| 305 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV चारबहेरिया 126 | 43.10 | चारबहेरिया ग्राम वन समिति |
| 306 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV चंवरपाठा 133 | 46.85 | गोरखपुर ग्राम वन समिति |
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 307 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV सर्रा 97 | 112.47 | डुंगरिया वन सुरक्षा समिति |
| 308 | नरसिंहपुर | 2014-2015 | IV गोरखपुर 118 | 123.23 | सर्रा ग्राम वन समिति |
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 309 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V जामुन झिरिया 152 | 59.98 | ग्रा.व.स. जामुन झिरिया |
| 310 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V ऊसरी 156 | 42.94 | ग्रा.व.स. पीपरपानी |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 311 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V लिघारी 74 | 29.54 | ग्रा.व.स. डुडवारा |
| 312 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V परथाना P 104 | 55.54 | ग्रा.व.स. भालपानी |
| 313 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बिजोरी 110 | 84.56 | ग्रा.व.स. मुंडरई कला |
| 314 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V इमझिरी 141 | 74.59 | ग्रा.व.स. गांगई |
| 315 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V सिघोड़ी 143 | 69.76 | ग्रा.व.स. किसलई |
| 316 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V रातामाटी P 136 | 56.43 | ग्रा.व.स. ऊसरी |
| 317 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बुढैना 129 | 53.16 | ग्रा.व.स. बुढैना |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 318 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V खापा 71 | 53.07 | ग्रा.व.स. कटकुही |
| 319 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V घोघरा 75 | 25.04 | वन सुरक्षा स. घोघरा |
| 320 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V भौती 77 | 39.07 | ग्रा.व.स. लिघरी |
| 321 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V पाठापुरा P 94 | 53.84 | ग्रा.व.स. बोरिया |
| 322 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V लवेरी भुमका P 95 | 80.28 | ग्रा.व.स. पुरा |
| 323 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V पाजरा 100 | 32.82 | व.सुरक्षा स. पांजरा |
| 324 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V मढ़ पिपरिया 85 | 64.46 | ग्रा.व.स.गठपिपरिया |
| 325 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V भड़ारदेव 91 | 30.32 | ग्रा.व.स. बकौरी |
| 326 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बवरिया 90 | 67.06 | ग्रा.व.स. कन्हारपानी |
| 327 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बचई P 88 | 40.06 | ग्रा.व.स. बचई |
| 328 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बरपानी 112 | 30.70 | ग्रा.व.स. गंगाई |
| 329 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V जमुनिया P 132 | 51.71 | ग्रा.व.स. जमुनिया |
| 330 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V पाला मुड़रई P 137 | 27.21 | ग्रा.व.स. ऊसरी |
| 331 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V विक्रम नगर 99 | 33.70 | वन सुरक्षा विक्रमनगर |
| 332 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बिचुआ 113 | 66.41 | पिपरिया ग्रा.व.स. |
| 333 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V कान्हा उदल 122 | 42.08 | ग्रा.व.स.कान्हाउदल |
| 334 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V जोगीटोला P 121 | 24.94 | ग्रा.व.स. खमरिया |
| 335 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V गाडरवारा खेड़ा P 83 | 50.02 | ग्रा.व.स. केकरा |
| 336 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V बड़गुवां 89 | 33.00 | ग्रा.व.स. बचई |
| 337 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V पीपरपानी P 160 | 51.65 | ग्रा.व.स. जैतपुर |
| 338 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V गंगाई 140 | 46.95 | व.सु.स. गंगाई |
| 339 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V डुंगरिया 127 | 35.76 | ग्रा.व.स. कोदारास |
| 340 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V चारबहेरिया 126 | 33.96 | ग्रा.व.स. चारबहेरिया |
| 341 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V चांवरपाठा 133 | 60.19 | ग्रा.व.स. गोरखपुर |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 342 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V सर्रा 97 | 93.44 | व.सु.स. डुंगरिया |
| 343 | नरसिंहपुर | 2015-2016 | V गोरखपुर 118 | 83.72 | ग्रा.व.स. सर्रा |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 344 | गाडरवारा | 2011-2012 | I तेन्दूखेड़ा P 275 | 46.66 | तेंदूखेड़ा ग्रा.व.स. |
| 345 | गाडरवारा | 2011-2012 | I चारगांव 394 | 39.59 | छारगाँव ग्रा.व.स. |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 346 | गाडरवारा | 2011-2012 | I हींगपानी 242 | 74.13 | हींगपानी ग्रा.व.स. |
| 347 | गाडरवारा | 2011-2012 | I चौगान 245 | 67.69 | पापरा चौगान ग्रा.व.स. |
| 348 | गाडरवारा | 2011-2012 | I भिलमाढ़ाना 253 | 86.22 | भिलमाढ़ाना ग्रा.व.स. |
| 349 | गाडरवारा | 2011-2012 | I डोंगराखोह 260 | 72.99 | डोंगरखोह ग्रा.व.स. |
| 350 | गाडरवारा | 2011-2012 | I बरियाढ़ाना 267 | 56.02 | बरियाढाना ग्रा.व.स. |
| 351 | गाडरवारा | 2011-2012 | I पटकुही 259 | 55.33 | बाघाकुड़ी ग्रा.व.स. |
| 352 | गाडरवारा | 2011-2012 | I पिपलाकछार P282 | 71.49 | पिपलाकछार ग्रा.व.स. |
| 353 | गाडरवारा | 2011-2012 | I बड़ागांव P288 | 54.85 | बड़ागांव ग्रा.व.स. |
| 354 | गाडरवारा | 2011-2012 | I कुम्भीखेड़ा P292 | 72.46 | बड़ागांव ग्रा.व.स. |
| 355 | गाडरवारा | 2011-2012 | I तलैया P278 | 51.26 | तलैया ग्रा.व.स. |
| 356 | गाडरवारा | 2011-2012 | I नांदिया 314 | 74.68 | तलैया ग्रा.व.स. |
| 357 | गाडरवारा | 2011-2012 | I गनेश नगर 305 | 90.48 | भैंसा मुकुंदा ग्रा.व.स. |
| 358 | गाडरवारा | 2011-2012 | I गोटीटोरिया P298 | 58.58 | मानेगांव ग्रा.व.स. |
| 359 | गाडरवारा | 2011-2012 | I आमाढाना P331 | 62.44 | बैरागढ़ ग्रा.व.स. |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. | कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वृक्षारोपण कार्यवृत्त** | | | | | | |
| 360 | गाडरवारा | 2011-2012 | P 264 | | 202.00 | |
| 361 | गाडरवारा | 2011-2012 | P 270 | | 72.93 | |
| 362 | गाडरवारा | 2011-2012 | P 271 | | 46.59 | |
| 363 | गाडरवारा | 2011-2012 | दुधी नदी | 310 | 273.22 | |
| 364 | गाडरवारा | 2011-2012 | | 311 | 218.05 | |
| 365 | गाडरवारा | 2011-2012 | मानेगाँव | 314 | 367.20 | |
| 366 | गाडरवारा | 2011-2012 | | 303 | 363.00 | |
| 367 | गाडरवारा | 2011-2012 | मुकुन्दा | 308 | 40.00 | |
| 368 | गाडरवारा | 2011-2012 | | 309 | 20.63 | |
| 369 | गाडरवारा | 2011-2012 | | | | |
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | | |
| 370 | गाडरवारा | 2012-2013 | II ग्वारी P 322 | | 85.00 | टूडनी |
| 371 | गाडरवारा | 2012-2013 | II जामगांव 324 | | 63.00 | जामगांव |
| 372 | गाडरवारा | 2012-2013 | II भैंसा 307 | | 66.00 | भैंसा मुकुंदा |
| **सुधार कार्यवृत्त** | | | | | | |
| 373 | गाडरवारा | 2012-2013 | रातीकरार 273 | | 11.00 | पटकुही |
| 374 | गाडरवारा | 2012-2013 | रातीकरार 447 | | 41.00 | पटकुही |
| 375 | गाडरवारा | 2012-2013 | खैरी 319 | | 60.00 | पिपरिया |
| **बिगड़े वनों का पुर्नस्थापना कार्यवृत्त** | | | | | | |
| 376 | गाडरवारा | 2012-2013 | II तेन्दूखेड़ा P 275 | | 33.00 | रातीकरार |
| 377 | गाडरवारा | 2012-2013 | II चारगांव -394 | | 29.00 | रातीकरार |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | | |
| 378 | गाडरवारा | 2012-2013 | II हींगपानी 242 | | 51.00 | हींगपानी |
| 379 | गाडरवारा | 2012-2013 | II चौगान 245 | | 83.00 | पापरा चौगान |
| 380 | गाडरवारा | 2012-2013 | II भिलमाढ़ाना 253 | | 100.00 | भिलमाढ़ाना |
| 381 | गाडरवारा | 2012-2013 | II डोंगराखोह 260 | | 82.00 | पटकुही |
| 382 | गाडरवारा | 2012-2013 | II बरियाढ़ाना 267 | | 65.00 | बरियाढाना |
| 383 | गाडरवारा | 2012-2013 | II पटकुही 259 | | 55.00 | पटकुही |
| 384 | गाडरवारा | 2012-2013 | II पीपलाकछार P-282 | | 74.00 | माल्पी |
| 385 | गाडरवारा | 2012-2013 | II बड़ागांव P-288 | | 74.00 | बड़ागांव |
| 386 | गाडरवारा | 2012-2013 | II कुम्भीखेड़ा P-292 | | 101.00 | बड़ागांव |
| 387 | गाडरवारा | 2012-2013 | II तलैया P-278 | | 75.00 | मोहपानी |
| 388 | गाडरवारा | 2012-2013 | II नांदिया 314 | | 88.00 | तलैया |
| 389 | गाडरवारा | 2012-2013 | II गनेश नगर 305 | | 93.00 | भैंसा मुकुंदा |
| 390 | गाडरवारा | 2012-2013 | II गोटीटोरिया P-298 | | 61.00 | मानेगाव |
| 391 | गाडरवारा | 2012-2013 | II आमाढाना P-331 | | 23.00 | ग्वारी |
| 392 | गाडरवारा | 2012-2013 | II आमाढाना P-331 | | 19.00 | बैरागढ़ |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष** | | | | | |
| 393 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मल्पी P- 259 | 39.00 | पटकुही |
| 394 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मल्पी P- 265 | 136.00 | बरियाढाना |
| 395 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मल्पी P- 278 | 90.00 | मोहपानी |
| 396 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मल्पी P- 279 | 65.00 | मल्पी |
| 397 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - दूधी नदी 313 | 197.00 | जामगांव |
| 398 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - दूधी नदी 320 | 215.00 | खैरी |
| 399 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मानेगांव 316 | 195.00 | खैरी |
| 400 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मानेगांव 315 | 286.00 | तलैया |
| 401 | गाडरवारा | 2012-2013 | बी - मुकुंदा 304 | 306.00 | भैंसा मुकुंदा |
| **औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र** | | | | | |
| 402 | गाडरवारा | 2012-2013 | एमपीसीए कक्ष क्र. 309 | 250.00 | भैंसा मुकुंदा |
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 403 | गाडरवारा | 2013-2014 | III ग्वारी P 322 | 60.88 | ग्राम वन समिति |
| 404 | गाडरवारा | 2013-2014 | III जामगांव 324 | 91.32 | ग्राम वन समिति |
| 405 | गाडरवारा | 2013-2014 | III भैंसा 307 | 66.09 | ग्राम वन समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 406 | गाडरवारा | 2013-2014 | III रातीकरार P 248 | 55.77 | ग्राम वन समिति |
| 407 | गाडरवारा | 2013-2014 | III खैरी P 319 | 66.38 | ग्राम वन समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 408 | गाडरवारा | 2013-2014 | III तेन्दूखेड़ा P 275 | 35.26 | ग्राम वन समिति |
| 409 | गाडरवारा | 2013-2014 | III चारगांव P 274 | 27.30 | ग्राम वन समिति |
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 410 | गाडरवारा | 2013-2014 | III हींगपानी 242 | 49.01 | ग्राम वन समिति |
| 411 | गाडरवारा | 2013-2014 | III चौगान 245 | 92.43 | ग्राम वन समिति |
| 412 | गाडरवारा | 2013-2014 | III भिलमाढ़ाना 253 | 68.34 | ग्राम वन समिति |
| 413 | गाडरवारा | 2013-2014 | III डोंगराखोह 260 | 82.94 | ग्राम वन समिति |
| 414 | गाडरवारा | 2013-2014 | III बरियाढ़ाना 267 | 51.45 | ग्राम वन समिति |
| 415 | गाडरवारा | 2013-2014 | III पटकुही 258 | 59.45 | ग्राम वन समिति |
| 416 | गाडरवारा | 2013-2014 | III पीपलाकछार P-282 | 55.82 | ग्राम वन रामिति |
| 417 | गाडरवारा | 2013-2014 | III बड़ागांव P-288 | 66.77 | ग्राम वन रामिति |
| 418 | गाडरवारा | 2013-2014 | III कुम्भीखेड़ा P-292 | 85.18 | ग्राम वन रामिति |
| 419 | गाडरवारा | 2013-2014 | III तलैया P-278 | 65.53 | ग्राम वन रामिति |
| 420 | गाडरवारा | 2013-2014 | III नांदिया 314 | 70.70 | ग्राम वन समिति |
| 421 | गाडरवारा | 2013-2014 | III गनेश नगर 305 | 81.14 | ग्राम वन समिति |
| 422 | गाडरवारा | 2013-2014 | III गोटीटोरिया P-298 | 78.10 | ग्राम वन समिति |
| 423 | गाडरवारा | 2013-2014 | III आमाढाना P-332 | 57.27 | ग्राम वन समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **बिगड़े बांस (अतिव्यापी) कार्य वृत्त** | | | | | |
| 424 | गाडरवारा | 2013-2014 | C मल्पी P 280 | 244.88 | ग्राम वन समिति |
| 425 | गाडरवारा | 2013-2014 | P 283 | 282.34 | ग्राम वन समिति |
| 426 | | | P 284 | 278.72 | ग्राम वन समिति |
| 427 | | | P 289 | 397.76 | ग्राम वन समिति |
| 428 | गाडरवारा | 2013-2014 | C दुधी नदी 323 | 278.48 | ग्राम वन समिति |
| 429 | | | 324 | 284.66 | ग्राम वन समिति |
| 430 | गाडरवारा | 2013-2014 | C मानेगांव 301 | 228.79 | ग्राम वन समिति |
| 431 | गाडरवारा | 2013-2014 | C मुकुन्दा 305 | 264.62 | ग्राम वन समिति |
| 432 | | | 306 | 361.70 | ग्राम वन समिति |
| **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 433 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV ग्वारी P 322 | 113.73 | टुडनी ग्राम वन समिति |
| 434 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV जामगांव 324 | 47.97 | जामगाँव ग्राम वन समिति |
| 435 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV भैंसा 307 | 57.84 | भैसा ग्राम वन समिति |
| **सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 436 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV रातीकरार P 248 | 70.11 | प्रेमपुर ग्राम वन समिति |
| 437 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV खैरी P 319 | 65.80 | खैरी ग्राम वन समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनरर्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 438 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV तेंदूखेड़ा P 275 | 36.19 | रातीकरार ग्राम वन समिति |
| 439 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV चारगांव P 274 | 28.51 | रातीकरार ग्राम वन समिति |
| 440 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV घोघरी P 349 | 63.94 | |
| **संरक्षण कार्य वृत्त** | | | | | |
| 441 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV हिंगपानी 242 | 29.40 | हींगपानी ग्राम वन समिति |
| 442 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV चौगान 249 | 71.25 | प्रेमपुर ग्राम वन समिति |
| 443 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV भितमाढाना 254 | 96.47 | भिलमाढाना ग्राम वन समिति |
| 444 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV डोंगरखोह 260 | 56.53 | पटकुही ग्राम वन समिति |
| 445 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV वरियाढाना 267 | 71.11 | वरियाढाना ग्राम वन समिति |
| 446 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV पटकुही 259 | 58.89 | पटकुही ग्राम वन समिति |
| 447 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV पिपलाकछार P 282 | 82.72 | मल्पी ग्राम वन समिति |
| 448 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV बड़ागांव P 288 | 107.02 | बड़ागाँव ग्राम वन समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **संरक्षण कार्य वृत्त** | | |
| 449 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV कुम्मीखेड़ा P 292 | 79.00 | बड़ागाँव ग्राम वन समिति |
| 450 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV तलैया P 278 | 73.26 | मोहपानी ग्राम वन समिति |
| 451 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV नांदिया 314 | 84.03 | तलैया ग्राम वन समिति |
| 452 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV गणेशनगर 306 | 75.79 | भैसा (मुकन्दा) ग्रा.व.स. |
| 453 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV गोटीटोरिया P 298 | 67.93 | मानेगांव ग्राम वन समिति |
| 454 | गाडरवारा | 2014-2015 | IV आमाढाना P 332 | 55.09 | टुडनी ग्राम वन समिति |
| | | | **चयन सह सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 455 | गाडरवारा | 2015-2016 | V ग्वारी P 322 | 70.37 | ग्राम वन समिति ग्वारी |
| 456 | गाडरवारा | 2015-2016 | V जामगांव 326 | 64.83 | ग्रा.व.स. जामगांव |
| 457 | गाडरवारा | 2015-2016 | V भैंसा 307 | 69.77 | ग्रा.व.स. भैसा मुकुन्दा |
| | | | **सुधार कार्य वृत्त** | | |
| 458 | गाडरवारा | 2015-2016 | V रातीकरार P 248 | 66.18 | ग्रा.व.स. छारगाँव |
| 459 | गाडरवारा | 2015-2016 | V खैरी 313 | 76.90 | ग्रा.व.स. खैरी |
| | | | **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | |
| 460 | गाडरवारा | 2015-2016 | V तेन्दूखेड़ा P 275 | 27.65 | ग्रा.व.स. तेंदूखेड़ा |
| 461 | गाडरवारा | 2015-2016 | V चारगांव P 274 | 37.32 | ग्रा.व.स. छारगाँव |
| | | | **संरक्षण कार्य वृत्त** | | |
| 462 | गाडरवारा | 2015-2016 | V हिंगपानी 242 | 56.70 | ग्रा.व.स. हींगपानी |
| 463 | गाडरवारा | 2015-2016 | V चौगान 249 | 70.41 | ग्रा.व.स. पापरा चौगान |
| 464 | गाडरवारा | 2015-2016 | V भिलमाढ़ाना 254 | 55.50 | ग्रा.व.स. भिलमाढाना |
| 465 | गाडरवारा | 2015-2016 | V डोंगराखोह 262 | 65.17 | ग्रा.व.स. डोंगरखोह |
| 466 | गाडरवारा | 2015-2016 | V बरियाढ़ाना 267 | 79.18 | ग्रा.व.स. बरियाढाना |
| 467 | गाडरवारा | 2015-2016 | V पटकुही 259 | 56.22 | ग्रा.व.स. बाघाकुडी |
| 468 | गाडरवारा | 2015-2016 | V पीपलाकछार P 281 | 70.83 | ग्रा.व.स. पिपलाकछार |
| 469 | गाडरवारा | 2015-2016 | V बड़ागांव P 288 | 87.16 | ग्रा.व.स. बड़ागाँव |
| 470 | गाडरवारा | 2015-2016 | V कुम्भीखेड़ा P 294 | 98.90 | ग्रा.व.स. बड़ागाँव |
| 471 | गाडरवारा | 2015-2016 | V तलैया P 284 | 68.35 | ग्रा.व.स. तलैया |
| 472 | गाडरवारा | 2015-2016 | V नांदिया 314 | 48.40 | ग्रा.व.स. तलैया |
| 473 | गाडरवारा | 2015-2016 | V गनेश नगर 306 | 80.83 | ग्रा.व.स. भैसा मुकुन्दा |
| 474 | गाडरवारा | 2015-2016 | V गोटीटोरिया P 297 | 97.30 | ग्रा.व.स. मानेगाँव |
| 475 | गाडरवारा | 2015-2016 | V आमाढाना P 332 | 68.90 | ग्रा.व.स. बैरागढ़ |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 476 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II पहाड़ीखेड़ा 5 | 98.660 | पहाड़ीखेड़ा |
| 477 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II खापा पटी पी P- 58 | 85.110 | बटका |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 478 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II पिपरिया 21 | 62.950 | श्याम नगर |
| 479 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II गुर्रा 12 | 77.510 | गुर्रा |
| 480 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II रोहिया P- 39 | 65.860 | डुंगरिया |
| 481 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II सिलवानी P- 30 | 52.280 | बम्हनी |
| 482 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II अंधियारी 66 | 50.340 | कछवा |
| 483 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II नगवारा P- 61 | 33.760 | दौन |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 484 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II मंजनी 22 | 32.060 | मंजनी |
| 485 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II लाठगांव पी 23 | 43.430 | लाठगांव |
| 486 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II श्री नगर पी 26 | 42.960 | चंदलौन |
| 487 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II देवनगर पी 25 | 40.580 | गौरतला |
| 488 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II सलैया पी 19 | 49.530 | सलैया |
| 489 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II उमरिया पी 20 | 25.410 | भामा |
| 490 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II बटका 44 | 30.333 | खापा |
| 491 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II चंडाल डुंगरिया 45 | 41.320 | खापा |
| 492 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II बुढ़ैना 43 | 52.610 | बुढ़ैना |
| 493 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II बरहटा पी 68 | 59.330 | भदौर |
| 494 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II सिहोरा पी 70 | 18.220 | नयागांव |
| 495 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II झिरी खुर्द पी 63 | 49.960 | गाढ़पहरा |
| 496 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II सालीवाड़ा पी 36 | 43.660 | बरगड़ा |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 497 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II धवई 32 | 73.060 | धवई |
| 498 | गोटेगाँव | 2012-2013 | II शेढ़ पिपरिया 33 | 76.190 | टोला बम्हनी |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 499 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III पहाड़ीखेड़ा 5 | 75.79 | वन सुरक्षा |
| 500 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III खापा पट्टी P 58 | 95.35 | वन सुरक्षा |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 501 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III पिपरिया 21 | 57.15 | वन सुरक्षा समिति |
| 502 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III गुर्रा 12 | 57.57 | वन सुरक्षा समिति |
| 503 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III रोहिया P 39 | 74.33 | वन सुरक्षा समिति |
| 504 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III सिलवानी 50 | 57.63 | वन सुरक्षा समिति |
| 505 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III अंधियारी 66 | 38.39 | वन सुरक्षा समिति |
| 506 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III नगवारा P 61 | 55.51 | वन सुरक्षा समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्यवृत्त** | | | | | |
| 507 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III मंजनी 22 | 31.15 | वन सुरक्षा समिति |
| 508 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III लाठगांव P 23 | 43.29 | वन सुरक्षा समिति |
| 509 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III श्रीनगर P 26 | 43.89 | वन सुरक्षा समिति |
| 510 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III देवनगर P 25 | 45.95 | वन सुरक्षा समिति |
| 511 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III रालैया P 19 | 46.25 | वन सुरक्षा समिति |
| 512 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III उमरिया P 41 | 47.75 | वन सुरक्षा समिति |
| 513 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III बटका 44 | 28.85 | वन सुरक्षा समिति |
| 514 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III चंडाल डुंगरिया 45 | 24.10 | वन सुरक्षा समिति |
| 515 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III बुढ़ैना 43 | 42.98 | वन सुरक्षा समिति |
| 516 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III बरहटा P 68 | 49.79 | वन सुरक्षा समिति |
| 517 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III सिहोरा P 69 | 66.66 | वन सुरक्षा समिति |
| 518 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III झिरी खुर्द P 63 | 41.42 | वन सुरक्षा समिति |
| 519 | गोटेगाँव | 2013-2014 | III सालीवाड़ा P 36 | 30.40 | वन सुरक्षा समिति |
| **संरक्षण कार्यवृत्त** | | | | | |
| 520 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV धवई 32 | 79.26 | वन सुरक्षा समिति |
| 521 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV शेढ़ पिपरिया 33 | 71.40 | वन सुरक्षा समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 522 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV पहाड़ीखेड़ा 5 | 88.80 | वन सुरक्षा समिति |
| 523 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV खापा पट्टी P 58 | 70.71 | वन सुरक्षा समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 524 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV पिपरिया P 4 | 24.71 | पिपरसरा वन सुरक्षा समिति |
| 525 | | | P 21 | 29.17 | श्यामनगर ग्राम वन समिति |
| 526 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV गुर्रा 12 | 69.19 | गुर्रा वन सुरक्षा समिति |
| 527 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV रोहिया P 39 | 69.44 | डुंरिया चंडालवन सुरक्षा समिति |
| 528 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV सिलवानी 50 | 77.03 | बटका वन सुरक्षा समिति |
| 529 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV अंधियारी 66 | 53.90 | कछवा वन सुरक्षा समिति |
| 530 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV नगवारा P 61 | 41.69 | दौन ग्राम वन समिति |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 531 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV मंजनी 22 | 43.79 | मंजनी ग्राम वन समिति |
| 532 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV लाठगांव P 23 | 39.16 | लाठगाँव वन सुरक्षा समिति |
| 533 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV श्रीनगर P 26 | 38.61 | चंदलौन वन सुरक्षा समिति |
| 534 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV देवनगर P 25 | 61.20 | गौरतला वन सुरक्षा समिति |
| 535 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV सलैया P 19 | 38.10 | सलैया ग्राम वन समिति |
| 536 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV उमरिया P 41 | 50.91 | नगवारा ग्राम वन समिति |
| 537 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV बटका 44 | 45.93 | खापा वन सुरक्षा समिति |
| 538 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV चंडाल डुंगरिया 45 | 37.30 | खापा पटी वन सुरक्षा समिति |
| 539 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV बुढ़ैना 43 | 58.20 | बुढ़ैना वन सुरक्षा समिति |
| 540 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV बरहटा P 68 | 45.40 | भदौर ग्राम वन रामिति |
| 541 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV सिहोरा P 69 | 43.47 | बरहटा ग्राम वन समिति |
| 542 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV झिरी खुर्द P 63 | 51.65 | बढ़पहरा ग्राम वन समिति |
| 543 | गोटेगाँव | 2014-2015 | IV सालीवाड़ा P 49 | 36.26 | शेढ़पिपरिया वन सुरक्षा समिति |

| क्रं. | परिक्षेत्र का नाम | कार्य वर्ष | कूप नं. कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **चयन सह सुधार कार्यवृत्त** | | | | | |
| 544 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V पहाड़ीखेड़ा 6 | 89.49 | वन सुरक्षा समिति |
| 545 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V खापा पट्टी P 58 | 99.09 | वन सुरक्षा समिति |
| **सुधार कार्य वृत्त** | | | | | |
| 546 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V पिपरिया 1 | 90.39 | वन सुरक्षा समिति पिपरसरा |
| 547 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V गुर्रा 12 | 108.56 | ग्राम वन समिति श्यामनगर |
| 548 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V रोहिया P 39 | 71.28 | वन सुरक्षा समिति डुंगरिया चंडाल |
| 549 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V सिलवानी 50 | 61.45 | वन सुरक्षा रामिति बटका |
| 550 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V अंधियारी 66 | 41.52 | वन सुरक्षा समिति कछवा |
| 551 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V नगवारा P 53 | 49.47 | ग्राम वन समिति दौन |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 552 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V मंजनी 22 | 38.86 | ग्राम वन समिति मंजनी |
| 553 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V लाठगांव P 2 | 41.36 | वन सुरक्षा समिति लाठगाँव |
| 554 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V श्रीनगर P 26 | 50.66 | वन सुरक्षा समिति चंदलौन |
| 555 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V देवनगर P 25 | 43.40 | वन सुरक्षा समिति गौरतला |
| 556 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V सलैया P 19 | 58.00 | ग्राम वन समिति सलैया |
| 557 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V उमरिया P 41 | 49.97 | ग्राम वन सगिति नगवारा |
| 558 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V बटका 44 | 22.33 | वन सुरक्षा समिति खापा |
| 559 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V चंडाल डुंगरिया 45 | 20.70 | वन सुरक्षा समिति खापा पटी |
| 560 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V बुढ़ैना 43 | 58.20 | वन सुरक्षा समिति बुढ़ैना |
| 561 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V बरहटा P 68 | 46.78 | ग्राम वन समिति भदौर |
| 562 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V सिहोरा P 69 | 43.84 | ग्राम वन समिति बरहटा |
| 563 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V झिरी खुर्द P 63 | 32.29 | गढ़पहरा ग्राम वन समिति |
| 564 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V सालीवाड़ा 49 | 47.91 | वन सुरक्षा समिति शेढ़पिपरिया |
| **बिगड़े वनों का पुनर्स्थापना कार्य वृत्त** | | | | | |
| 565 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V धवई 15 | 71.97 | वन सुरक्षा समिति |
| 566 | गोटेगाँव | 2015-2016 | V शेरपिपरिया 33 | 60.60 | वन सुरक्षा समिति |

# अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक : 2886 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2006

प्रति,

समस्त वन संरक्षक क्षेत्रीय
मध्यप्रदेश

विषय :बाढ़/अग्नि पीड़ितों को व्यापारिक दरों पर बांस, बल्ली उपलब्ध कराने संबंधी।

संदर्भ :इस कार्यालय का पत्र क्रमांक उत्पादन/निस्तार/322/7776 दिनांक : 29/8/2006.

राजस्व विभाग ने उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 6/24/सात/2005/शा. दिनांक 11/3/2006 के राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक 4 की कंडिका 9 विलोपित की गई है। तदनुसार अग्नि एवं बाढ़ पीड़ितों को बांस/बल्ली प्रदाय की पूर्व व्यवस्था समाप्त हो गई है।

वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अथवा सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर बाढ़/अग्नि पीड़ित परिवार को अधिकतम 20 बल्ली एवं बांस 30 बांस उपलब्धतानुसार व्यापारिक दर से प्रदाय किये जा सकते हैं। यह व्यवस्था संपूर्ण कलेण्डर वर्ष के लिए लागू होगी।

अतः आपके वृत्तों में अग्नि पीड़ितों/बाढ़ पीड़ितों को बांस/बल्ली प्रदाय की उपरोक्त व्यवस्था तत्काल लागू करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2006

संलग्न : सचिव म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक डी/2089/3208/06/10-3 दिनांक

---

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. /3208/06/10
दिनांक 01/09/2006

रतन पुरवार
सचिव

मध्यप्रदेश
वन विभाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

कृपया अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को बांस एवं बल्ली प्रदाय करने की व्यवस्था के संबंध में प्रमुख सचिव, वन को संबोधित अपने अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 14651/2006 दि. 22/8/2006 का अवलोकन करें। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्व विभाग ने अपने ज्ञापन क्रमांक एफ6-24/सात/2005/शा 3 दिनांक 11 मार्च 2006 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में संशोधन कर दिया है तथा संशोधित निर्देशानुसार बांस/बल्ली का प्रदाय नहीं किया जाता हैं। फिर भी यदि बांस एवं बल्ली आवश्यक हो तो व्यापारिक दरों पर वन विभाग के काष्ठगारों से क्रय किया जा सकता हैं।

भवदीय
(रतन पुरवार)

# म.प्र. शासन वन विभाग

समिति/11/99/221 भोपाल दिनांक 18/11/99

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वनोपज उत्पादन, निर्वर्तन एवं विपणन
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- मेघनाथ जौरा का प्रदाय एवं दर निर्धारण

राष्ट्रीयकृत वन उपज अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 5.11.99 में (विषय क्रमांक 3) के लिए गये निर्णय के अनुसार मेघनाथ जौरा के प्रदाय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने को शासन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान करता हैं -

वनों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित जिन ग्रामों में मेघनाथ जौरा स्थापित हैं उनके लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी की अनुमति के आधार पर 10 वर्षो में एक बार नियमित काष्ठागांर से ग्रामसभा के प्रतिनिधियों द्वारा चयनित सागौन का तृतीय श्रेणी का एक लट्ठा निशुल्क दिया जायेगा एवं वन मंडल कार्यालय में इस प्रदाय बावत् एक पंजी संधारित की जायेगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

(आर.के.शुक्ला)
पदेन उप सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

पृष्ठा क्रमांक/समिति/11/99/222 भोपाल दिनांक 18 - 11 - 99

प्रतिलिपि :- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग एवं

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र. ग्वालियर को (समिति बैठक दिनांक 5.11.99 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण 'क' उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर. के. शुक्ला)
पदेन उपसचिव
म. प्र. शासन वन विभाग

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/1223 दिनांक 2/4/2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
वन संरक्षक, नर्मदा सागर उत्पादन वृत्त, खंडवा
समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय व उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषय :- कूपों से इमारती लकड़ी निकालने के बाद निर्धारित अवधि के लिये कूप खोले जाकर जलाऊ लकड़ी (बिना चट्टे बनाए हुए) का प्रदाय।

जैसा कि आपको ज्ञात है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनोपजों का प्रथम अधिकार समीप में रहने वाले वनवासियों का है। इसी प्राथमिकता को प्रदेश की वन नीति 2005 में भी प्रतिपादित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि शासन कूपों से प्राप्त वनोपज विशेष रूप से जलाऊ लकड़ी को यदि वन क्षेत्र में या उसके पास रहने वाले ग्रामवासियों को ऐसी दरों पर उपलब्ध कराता है जिस पर वे उसे आसानी से ले सकें, तो कम से कम उस सीमा तक वनों पर दबाव कम होगा इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 06-02-07 को आयोजित वन पंचायत में भी गई थी।

कूपों से इमारती लकड़ी के विदोहन के उपरांत जलाऊ लकड़ी के चट्टे बनाए जाते हैं। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन चट्टों में से कुछ चट्टे ग्रामवासियों को निस्तार में जलाऊ हेतु प्रदाय किये जाते है इन जलाऊ चट्टों के निर्माण में शासकीय व्यय होने से ग्रामवासियों को निस्तार में प्राप्त चट्टे महंगे पड़ते है। अतः इन वन समिति के सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ का प्रदाय बैलगाड़ी या ट्रैक्टर-ट्राली से करने की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती हैं :-

1. कूप में चिन्हांकन के समय ही, स्थानीय तौर पर निस्तार में दिये जाने वाले जलाऊ चट्टों की आवश्यकता का आंकलन कर, किस कूप से कितने जलाऊ चट्टे निस्तार में दिये जाएंगे, इसका निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार जलाऊ चट्टों के कुल अनुमानित उत्पादन की संख्या तथा उसमें से निस्तार प्रदाय के लिये निर्धारित चट्टों की संख्या की कूप-वार जानकारी क्षेत्रीय इकाई द्वारा कूप हस्तांतण के समय उत्पादन इकाई को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रथा के माध्यम से जलाऊ लकड़ी का प्रदाय प्रारंभ करने के पूर्व, कूप में विदोहित संपूर्ण इमारती लकड़ी तथा निस्तार की अनुमानित आवश्यकता को छोड़कर शेष जलाऊ चट्टों की निकासी पूर्ण की जाएगी। निस्तार प्रदाय के लिए निर्धारित जलाऊ लकड़ी बिना चट्टे बनाए हुए स्थल पर ही छोड़ दी जाएगी जिसकी निस्तार के लाभार्थियों द्वारा इस परिपत्र में दी गई व्यवस्था अनुसार निकासी की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में दाह संस्कार आदि के लिए जलाऊ लकड़ी लगती हो तो उसके लिए भी चट्टे बनाए जाएंगे। यथासंभव एक कूप में अनुमानित उत्पादन की समस्त जलाऊ लकड़ी निस्तार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, तथा यदि निस्तार की आवश्यकता से अनुमानित उत्पादन अधिक है तो निस्तार प्रदाय के लिए बिना चट्टे बनाए हुए कूप के निर्धारित सेक्शन को छोड़कर अन्य सेक्शनों में जलाऊ चट्टे बनाए जाएंगे।

उदाहरण के लिए :-

(क) यदि किसी कूप में 400 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अनुमानित है तथा 100 बैलगाड़ी जलाऊ निस्तार में दी जानी है तो कूप के कुल चार सेक्शनों में से तीन सेक्शनों से 300 चट्टे बनाकर निकाल

लिए जाएंगे तथा चौथा सेक्शन निस्तार के लिए आरक्षित रहेगा एवं इस सेक्शन से जलाऊ बिना चट्टा बनाए बैलगाड़ी द्वारा निस्तार में प्रदाय की जांएगी। निस्तार के लिए आरक्षित सेक्शन का चयन बैलगाड़ी द्वारा निकासी की सुविधा की दृष्टि से किया जाएगा।

(ख) यदि किसी कूप में 400 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अनुमानित है तथा शहरी मांग 100 चट्टो की है तथा ग्रामों की मांग 500 बैलगाड़ियों की है तब 100 चट्टे तो बनाए ही जांएगे एवं ग्रामवासियों को उनकी आवश्यकता में समानुपातिक कमी कर शेष लकड़ी बिना चट्टे बनाये दी जाएगी।

(3) निस्तार हेतु प्रस्तावित कूपों में विदोहन यथासंभव 31 मार्च तक पूर्ण किया जाएगा, जिससे निकासी उपरांत इन कूपों को निस्तार हेतु खोला जा सके। विशेष परिस्थितियों में ही यह अवधि वन संरक्षक द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(4) कूपों से जलाऊ लकड़ी के निस्तार प्रदाय से संबंधित कार्य क्षेत्रीय इकाई द्वारा संचालित होंगे। इसके लिये कूप से इमारती लकड़ी तथा निस्तार की आवश्यकता को छोड़ने के बाद अवशेष जलाऊ लकड़ी की निकासी के उपरांत परिक्षेत्र अधिकारी स्तर पर उत्पादन इकाई से क्षेत्रीय इकाई को कूप का अथवा कूप के सेक्शन का जैसी भी स्थिति हो, हस्तांतरण किया जायेगा तथा दोनों इकाईयों के परिक्षेत्र अधिकारी इसकी सूचना संबंधित वन मंडलाधिकारी को देंगे जिस अवधि में बैलगाड़ी द्वारा जलाऊ की निकासी दी जाएगी। उस अवधि में वन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अमले की ड्युटी वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा लगाई जाएगी।

(5) निस्तार में प्रस्तावित जलाऊ लकड़ी के बैलगाड़ियों से प्रदाय हेतु वन समिति की आमसभा में सदस्यों की आवश्यकता अनुमोदित की जाएगी। इस अनुमोदित सूची के अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार जलाऊ प्रदाय हेतु मनी रसीद वन समिति के सचिव (वन रक्षक/वनपाल) द्वारा जारी की जाएगी। मनी रसीद द्वारा वसूल की गई राशि का समायोजन निस्तार में प्राप्त अन्य राजस्व की तरह किया जाएगा।

(6) वन समिति के एक परिवार को 2 दो बैलगाड़ी तक जलाऊ की पात्रता होगी। यदि ट्रेक्टर-ट्राली द्वारा निकासी किया जाना हो तो उसके लिये मनी रसीद के पृष्ठभाग पर उन सभी सदस्यों के नाम अंकित किये जांएगे। जो मिलकर जलाऊ लकड़ी की निकासी ट्रेक्टर-ट्राली के माध्यम से कर रहे है।

(7) इस प्रकार निजी उपयोग के लिए निस्तार में प्रदायित जलाऊ बैलगाड़ी के परिवहन हेतु टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निकासी की जा रही वनोपज के साथ संबंधित मनी रसीद रखना अनिवार्य होगा। मनी रसीद के पृष्ठभाग पर चेंकिग करने वाले वन कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये जांएगे।

(8) इस व्यवस्था में बिना चट्टा बनाए ही जलाऊ का प्रदाय किया जाएगा, इसलिए चट्टे बनाने पर होने वाले व्यय की बचत होगी तथा इस प्रकार की बचत की गई राशि वसूल नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, वित्तीय दृष्टि से यह ध्यान रखना है कि इस व्यवस्था में शासकीय व्यय में जितनी राशि की बचत होगी, केवल उतनी ही राशि की आय में गणितीय कमी आएगी परंतु शुद्ध रूप से शासकीय आय में कोई कमी नहीं होगी। इस उद्देश्य से एक बैलगाड़ी जलाऊ (अनुमानित एक जलाऊ चट्टे) का मूल्य निम्नानुसार परिगणित किया जायेगा :-

(क) एक जलाऊ चट्टा बनाने के लिए आवश्यक वृक्ष/वृक्षों के विदोहन पर लगभग आधा मानव दिवस का व्यय आता है। अतः कूप से बिना चट्टा बनाए हुए निस्तार प्रदाय में एक बैलगाड़ी जलाऊ के प्रदाय हेतु आधे मानव दिवस की तत्कालीन दर से राशि की गणना वसूली हेतु की जाएगी, जिस पर वन विकास उपकर भी देय होगा। उदाहरण के लिए- यदि दैनिक मजदूरी की दर 84 रूपये है तो एक बैलगाडी

जलाऊ के लिए रूपये 42+1.26 (वन विकास, उपकर) = रू. 43.26 की राशि परिगणित की जाएगी।

(ख) यदि कूप से वन समिति के सदस्यों को चट्टा प्रदाय की दर रू. 74 प्रति चट्टा (निस्तार पत्रिका के अनुसार) निर्धारित हैं और संबंधित वृत्त में चट्टा बनवाई की दर रू. 54 प्रति चट्टा तथा अभिलेखन व्यय रू. 0.76 निर्धारित है तो एक बैलगाड़ी जलाऊ के लिए रू. 74 - 54.76 = रू. 19.24 की राशि परिगणित की जाएगी।

उपरोक्त (क) और (ख) में परिगणित राशि में से जो भी राशि अधिक होगी, वह राशि बैलगाड़ी जलाऊ के लिए वसूल की जाएगी उपरोक्तानुसार प्राप्त दर को अगले रूपये में पूर्णांक किया जावेगा अर्थात् रू. 43.26 को रू. 44/- में।

(9) इस प्रथा के अनुसार जलाऊ की निकासी हेतु प्रत्येक कूप अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिये खोला जायेगा जलाऊ प्रदाय हेतु कूप खोले जाने की निर्धारित अवधि की सूचना निस्तार पत्रिका में सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय तौर पर वन समितियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(10) क्षेत्रीय इकाई द्वारा इस अवधि में विशेष वन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक अमले की ड्यूटी लगाई जाएगी तथा जलाऊ लकड़ी की निकासी सूर्योदय के उपरांत तथा सूर्यास्त के पूर्व ही की जायेगी। सुरक्षा हेतु अमले की उपलब्धता को देखते हुए जलाऊ की निकासी हेतु निर्धारित दिनों की संख्या का निर्धारण वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा किया जाएगा, जो कि एक दिन से लेकर उपरोक्त पैरा (9) में अंकित अनुसार अधिकतम सात दिन तक किया जा सकेगा। यदि अमला कम हो तो कूप एक के बाद एक करके भी खोले जा सकते हैं।

सही

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/उत्पादन/निरतार/1221 भोपाल, दिनांक 2/4/2007

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री जी
2. निजी सचिव, माननीय राज्य वन मंत्री जी
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संहकारी सांघ मर्या. भोपाल
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश, भोपाल

# लोक वानिकी कार्यक्रम

**परिचय :**

मध्यप्रदेश में निजी तथा राजस्व वनों के वैज्ञानिक प्रबंध की दिशा में पहल करते हुए ''लोकवानिकी'' के रूप में एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। लोकवानिकी का मुख्य उद्देश्य भूमिस्वामी के खेत में खड़े वृक्षों का वैज्ञानिक प्रबंधन है जिससे प्रेक्षेत्र को सतत् रूप से उत्पादित बनाये रखा जा सके तथा पड़त भूमि में रोपड़ हो सके। इस योजना के माध्यम से वानिकी कार्यो में रोजगार तथा वनोपज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व क्षेत्रों में स्थित वनों के बेहतर प्रबंधन से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भूमिस्वामी के निजी वृक्षों के विदोहन के साथ ही वनों के माध्यम से ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकेगा, तथा वृक्षारोपण को खेती की तरह लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

**स्वैच्छिक कानून :**

''लोकवानिकी'' के क्रियान्वयन हेतु ''मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम 2001'' राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2001 से अधिसूचित किया गया एवं ''मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002'' दिनांक 16 दिसम्बर 2002 को अधिसूचित किया गया। लोकवानिकी योजना ऐसे निजी एवं राजस्व क्षेत्रों पर लागू होगी, जिन्हें भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्रामसभा ''वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के रूप में प्रबंधन करना चाहेंगे। यह अधिनियम सभी भूमिस्वामियों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होगा। इस अधिनियम में कुल 13 धाराएं बनायी गयी हैं।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम 2001 की धारा - 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ''मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002'' बनाया गया है। जिसे राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-46-98-दस-2 दिनांक 16 दिसम्बर 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ''मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002'' में कुल 11 नियम बनाये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से लोक वानिकी के आधीन प्रबंधन के लिये आवेदन प्रक्रिया, प्रबंधन योजना का निर्माण, मंजूरी, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में नियम बनाये गये हैं। लोकवानिकी के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नियम 10 के अंतर्गत दण्ड के प्रावधान भी किये गये हैं।

**विस्तार :**

मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-दस-(दो) दिनांक 15 जून 2001 से लोकवानिकीक अधिनियम 2001 होशंगाबाद, देवास, नरसिंहपुर, दमोह एवं सीधी जिले में लागू किया गया है।

पुनः मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 25-46-98-दस-(दो) दिनांक 1 अगस्त 2001 से मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम 2001 से जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी तथा सिवनी जिलों में लागू किया गया है।

इसके पश्चात मध्यप्रदेश राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-46-98-दस-(दो) दिनांक 29

अप्रैल 2003 द्वारा राज्य के शेष 35 जिलों में दिनांक 01 मई 2003 से लागू किया गया है। अतः अब लोकवानिकी कार्य का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया हैं।

**प्रबंध योजना निर्माण :**

चार्टर्ड फारेस्टर के प्रावधान के कारण प्रबंध योजना बनाने के कार्य में यथेष्ट प्रगति नहीं हो पा रही थी क्योंकि कमजोर वर्ग के कृषकों को चार्टर्ड फारेस्टरों को प्रबंध योजना बनाने के लिए फीस का भुगतान करना पड़ता है और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से कृषक इस हेतु असमर्थ था। इस प्रावधान की वजह से कृषक लोकवानिकी योजना से नहीं जुड़ पा रहा था। अतः प्रदेश में अधिक से अधिक कृषकों को लोकवानिकी का लाभ पहुँचाने के लिए और योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के लिए सदन में म.प्र. लोकवानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित हो जाने से कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को इसका विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। इस अधिनियम में चार्टर्ड फारेस्टरों के उपबंधों को लोप किया गया है। अब लोकवानिकी प्रबंध योजना वानिकी कृषक, ग्रामसभा एवं पंचायत द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति से तैयार करवाई जा सकेगी।

**प्रबंध योजना स्वीकृति –**

दस हेक्टेयर की सीमा तक के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं स्थानीय वनमंडलाधिकारी स्वीकृत कर सकेंगें। दस हेक्टेयर से अधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं भारत शासन को पूर्व अनुमोदन हेतु भेजी जायेंगी।

वनमंडलाधिकारी, प्रबंध योजना को मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा, ऐसे मामले में, यथा स्थिति समीपस्थ, वन क्षेत्रों अथवा निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, जहाँ प्रबंध योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है वहाँ सक्षम अधिकारी प्रबंध योजना के प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन के भीतर प्रबंध योजना को अपनी राय के साथ राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

**निजी रोपण के पातन –**

मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार अधिनियम) अधिनियम, 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराये जाने और अभिवहन के लिए यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है, अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं ने इन वृक्षों का रोपण, जिससे वाणिज्यिक रोपण शामिल है, किया हो। परंतु यह और भी कि भूमिस्वामी, किसी रोपण के संबंध में, तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को प्रारूप 'ख' में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में, सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा। जनहित में प्रारूप ''ख'' को निम्नानुसार सरलीकृत किया गया हैं।

प्रारुप ''ख''

## खसरा को सम्मिलित करते हुए राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना

प्रति,

तहसीलदार/वन परिक्षेत्राधिकारी

तहसील/परिक्षेत्र

जिला ..... म.प्र.

1. आवेदक का नाम/पिता का नाम तथा पता .....
2. सर्वे क्रमांक तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रमांक .....
   एवं ग्राम जिसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित है।
3. भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टयाँ .....
4. प्रत्येक खसरा क्रमांक में विद्यमान/प्रस्तावित .....

वृक्षों की संख्या

| क्रमांक | खसरा क्र. | विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति के नाम | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

दिनांक - .....

स्थान - खातेदार के हस्ताक्षर

''चक'' की व्याख्या -

क्षेत्रीय स्तर पर लोकवानिकी के क्रियान्वयन में कृषकों को आ रही समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कदम उठाते हुए म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पृ. पत्र क्रमांक/2303/2005/10-2 दिनांक 20-07-05 द्वारा लोकवानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार ''चक्र'' को परिभाषित किया गया है -

''लोकवानिकी कार्यक्रम के लिए चक्र का अर्थ होगा। किसी भी भूमिस्वामी का वह भूखंड जो कि एक या एकाधिक खसरा से मिलकर बना हो।''

उपरोक्तानुसार 'चक्र' की व्याख्या हो जाने से कृषकों को इस संबंध में आ रही समस्या का समाधान हुआ हैं।

# मध्यप्रदेश शासन
## वन विभाग
## मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक - 4266/289/05/10-3

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2005

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय : भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के स्वामित्व की राष्ट्रीयकृत वनोपज काष्ठ को वन विभाग को विक्रय करने बावत।

वर्तमान में वन विभाग भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत काष्ठ को वन विभाग द्वारा लिया जाकर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है तथा वनों से प्राप्त अन्य काष्ठों के साथ मिलाकर उसको विक्रय कर देता हैं।

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही चाहे तो वे वन विभाग के डिपो में अपनी काष्ठ की पृथक से लाट बनवाकर विक्रय कर सकते हैं। लेकिन पृथक से लाट लगाकर बेचने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग को काष्ठ बेचने की पात्रता नहीं होगी। इस हेतु भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अलग से लॉट लगाकर वन विभाग के डिपो से बेचने की स्थिति में निम्न शर्ते लागू होगी।

(क) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अपने काष्ठ को डिपो में पृथक लॉट लगवाकर बेचने की स्थिति में 2 विकल्प दिये जायेंगे। प्रथम विकल्प यह होगा कि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ की लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अनुबंध पत्र 'अ' में संबंधित वन मंडल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। जबकि द्वितीय विकल्प में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही लिखित रूप से अपने लॉट के न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण विभागीय प्रक्रिया से नहीं लिया जावेगा। बल्कि भूमि स्वामी द्वारा अनुरोध किये गये विक्रय मूल्य को ही अवरोध मूल्य मान लिया जावेगा। एवं ऐसी स्थिति में स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अनुबंध पत्र 'ब' में संबंधित वन मंडल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ख) यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही प्रथम विकल्प स्वीकार करता है तो नीलाम विशेष में विक्रय नहीं हो पाने की अवस्था में भूमि स्वामी के लॉट को विभागीय प्रक्रिया अनुसार ही आगामी नीलाम में

विक्रय किये जाने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक कि लॉट का विक्रय नहीं हो जावे। भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के लॉट के नीलाम में वन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन मण्डलाधिकारी विक्रय करेंगें। विभागीय प्रक्रिया अनुसार वन मण्डलाधिकारी एंव वन संरक्षक लाट को आवश्यकतानुसार अवरोध मूल्य से नीचे बेच सकेंगें। वन मण्डलाधिकारी व वन संरक्षक नीलामी हेतु दी गई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में स्वतंत्र रहेंगें तथा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को मान्य होगा। अवरोध मूल्य कम प्राप्त होने पर भूमिस्वामी किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगें।

(ग) यदि भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही द्वितीय विकल्प स्वीकारता है तो लाट का विक्रय इस मूल्य के नीचे नहीं किया जावेगा भले ही नीलाम में विशेष कोई बोली प्राप्त न हो। भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को यह अधिकार अवश्य होगा कि वह नीलाम के पश्चात विक्रय नहीं होने की स्थिति में यदि उचित समझे तो अपने विक्रय मूल्य की राशि परिवर्तित कर सकता है। किसी भी स्थिति में भूमिस्वामी/लोकवानिकी हितग्राही द्वारा लिखित रूप में जो विक्रय मूल्य दिया जावेगा। उससे कम राशि पर विक्रय नहीं किया जावेग

(घ) दोनों ही विकल्पों की स्थिति में निम्न शर्ते भी लागू रहेंगी।

(अ) यदि भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को वन विभाग के नीलाम में उपस्थित रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी परन्तु उन्हें वनमंण्डलाधिकारी द्वारा किये जा रहे नीलाम में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं रहेगी। वे वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपनाई गई नीलाम प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति नहीं उठायेंगें। अथवा किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगें।

(ब) लाट के प्रथम अथवा बाद के किसी भी नीलाम में विक्रय नहीं हो पाने के कारण काष्ठ की गुणवत्ता में ह्रास बाजार में काष्ठ के मूल्य में गिरावट, भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही द्वारा सूचित न्यूनतम राशि से कम बोली प्राप्त होने इत्यादि की अवस्था में भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार नीलाम की पूर्ण कार्यवाही भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राहियों के जोखिम पर ही संपादित की जावेगी।

(स) भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही की काष्ठ के विक्रय होने तक प्रकरण की स्थिति एवं नीलाम संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी से संपर्क करने हेतु स्वतंत्र रहेंगें।

(द) भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही की लाट पर देय वन विकास उपकर वाणिज्यिक कर, आयकर, सरचार्ज, भूमि भाड़ा इत्यादि की वसूली किये जाने एवं नियमानुसार इनके समोयाजित/भुगतान करने का भी उत्तरदायित्व वनमण्डलाधिकारी का ही रहेगा।

(इ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के काष्ठ के विक्रय मूल्य में से काष्ठ की डिपो में आमद लेने, परिमापन एवं ग्रेडिंग करने, थप्पीकरण तथा नीलाम की अन्य व्यवस्था, सुरक्षा इत्यादि पर होने वाले व्यय की राशि की कटोती करते हुए अवशेष रहने वाली पूर्ण राशि का भुगतान वनमण्डलाधिकारी चेक द्वारा भूमि

स्वामी को करेंगे। यह भुगतान भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही की काष्ठ का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने के उपरांत 15 दिन के भीतर किया जायेगा।

(उ) एकरूपता की दृष्टि से डिपो व्यय का मानकीकरण भी प्रतिवर्ष विभाग द्वारा किया जावेगा। अर्थात विभाग द्वारा भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही से प्रति घनमीटर अथवा प्रति बल्ली नग या जलाऊ चट्टा के लिए हस्तन व्यय की वार्षिक दर भी निर्धारित की जावेगी।

(ए) भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही को उपरोक्त शर्तें मान्य रहने का अनुबंध पत्र निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संबंधित क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी को देना होगा।

सहपत्र : (1) आवेदन प्रारूप
(2) अनुबंध प्रारूप 'अ' एवं 'ब'

सचिव

म.प्र.शासन वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ-4267/269/05/10-3 भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2005

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
2. मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश

## भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा अपनी काष्ठ का पृथक लाट लगाकर बिक्री के संबंध में वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

वन मंडल .....

विषय : स्वयं की काष्ठ को पृथक लाट लगाकर बिक्री करने के संबंध में।

संदर्भ : (प) वन मंडलाधिकारी का आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....

(पप) जिलाध्यक्ष ..... का आदेश क्रमांक ..... दिनांक .....

1. (अ) मैं श्री/श्रीमति ..... आत्मज/पत्नि श्री ..... भूमि स्वामी खसरा क्रमांक ..... पटवारी हल्का नंबर ..... ग्राम ..... जिला ..... का होकर निवेदन करता है/करती हूँ कि अपने लाट लगाकर वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया अनुसार अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करवाना चाहता/चाहती हूँ। अथवा

1. (ब) मेरे द्वारा उक्त लाट का न्यू-तम विक्रय मूल्य प्रथम नीलाम हेतु ..... निर्धारित किया गया है तथा द्वितीय नीलाम एवं आगामी नीलामों हेतु ..... रूपये निर्धारित किया जाये।
2. मैं शासन के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रारूप 'अ'/प्रारूप 'ब' में अनुबंध निष्पादित करना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
3. मैं शासन द्वारा नीलाम हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूगा/करूँगी तथा नीलाम पद्धति से जुड़ी समस्त कार्यवाही मुझे मान्य रहेगी।
4. मैं सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि लाट के प्रथम अथवा बाद के किसी भी नीलाम में विक्रय नहीं हो पाने के कारण काष्ठ की गुणवत्ता में ह्रास, काष्ठ के बाजार मूल्य में गिरावट, मेरे द्वारा सूचित न्यूनतम राशि से कम बोली प्राप्त होने इत्यादि की अवस्था में मुझे होने वाले किसी भी प्रकार की हानि के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा रहेगा तथा इसके लिए वन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। नीलाम की पूर्ण कार्यवाही मेरे जोखिम पर ही संपादित की जावेगी।
5. मैं वन विभाग द्वारा लाट पर प्रति घ.मी. शासन द्वारा निर्धारित (..... रूपये) हस्तन व्यय के रूप में तथा देय समस्त प्रकार के कर इत्यादि की वसूली तथा कटौत्री करने हेतु पूर्ण सहमति व्यक्त करता /करती हूँ।

# अनुबंध पत्र – 'अ'

भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया द्वारा काष्ठ विक्रय की सहमति की स्थिति में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र।

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को श्री ..... पुत्र श्री ..... भूमिस्वामी/लोक वानिकी हितग्राही एवं ..... वन मंडल अधिकारी ..... वन मंडल के मध्य निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित किया गया।

(1) यह कि श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... पोस्ट ..... तहसील ..... जिला ..... भूमिस्वामी खसरा नंबर ..... द्वारा (i)अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन जिलाध्यक्ष ..... द्वारा स्वीकृति क्रमांक - ..... दिनांक ..... द्वारा किया गया हैं।

अथवा

(2) लोक वानिकी योजना के अंतर्गत वन मंडल अधिकारी ..... वन मंडल ..... द्वारा आदेश क्रमांक - ..... दिनांक ..... से प्राप्त स्वीकृति अनुसार किया गया हैं।

(3) यह कि श्री ..... ने वन विभाग के द्वारा काष्ठ निर्वर्तन की प्रक्रिया शासन के आदेश क्रमांक - ..... दिनांक ..... द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनकी काष्ठ का निर्वर्तन वन विभाग द्वारा किया जाना स्वीकार किया है।

(4) उपरोक्त शर्त (3) के अधीन विभाग को विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक अथवा कम मूल्य पर काष्ठ विक्रय होने की स्थिति में, अनुबंधकर्ता को निर्धारित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर की

राशि विभाग से प्राप्त करने की पात्रता होगी बल्कि विभागीय प्रक्रिया अनुसार प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य में से विक्रेता (भूमिस्वामी/लोकवानिकी हितग्राही) द्वारा शासन को देय समस्त करों तथा प्रति घ.मी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित (..... रूपये) हस्तन व्यय के रूप में तथा अन्य विभागीय व्यय को घटाये जाने के उपरांत शेष राशि पाने की पात्रता होगी।

(5) कर के अतिरिक्त मेरे लाट पर नीलाम प्रक्रिया के तहत होने वाले समस्त प्रकार के व्यय की कटौती करने की सहमति देता/देती हूँ।

(6) उपरोक्तानुसार कर एवं व्यय की कटौतियों से शेष बचने वाली राशि को मैं अपनी काष्ठ के शुद्ध मूल्य के रूप में प्राप्त करने मात्र का हकदार रहूँगा/रहूँगी तथा इस बात की भी सहमति देता/देती हूँ कि मुझे लाट की राशि का भुगतान क्रेता के द्वारा परिदान लेने के उपरान्त ही किया जावे।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर भूमिस्वामी/लोकवानिकी हितग्राही

नाम गवाह 1/ ..... 2/ .....

स्थाई पता ..... स्थाई पता .....

# जलाऊ लकड़ी का डिपो में लेखांकन व निर्वर्तन प्रक्रिया

उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में दिये गये समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये दिनांक 1-7-99 से निम्न प्रक्रिया लागू की जाती है :-

1- जलाऊ लकड़ी का संग्रहण कूप में 2 1 .25 0.8 मी. के चट्टों के रूप में या 1 1. 1.25 0.80 मी. के आधे चट्टों के रूप में किया जाता है। अतः कूपों से डिपो तक परिवहन निर्वर्तन भी चट्टों की इकाई में किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक यह होगा कि कूप में चट्टे सही माप के व सही ढंग से बनाये जायें।

2- कूप के चट्टे भेजते समय कार्टिग चालान पर चट्टों का क्रमांक व संख्या के साथ-साथ ट्रक में भरी कुल लकड़ी की लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई भी अभिलिखित की जायेगी। यदि ट्रक में भरे चट्टों के आयतन व परिगणित मानक आयतन में अन्तर आता है, तो ट्रक में भरे आयतन में दो का भाग देकर, मानक चट्टों का आकलन किया जायेगा। परिगणित आयतन में दो का भाग देने पर प्राप्त 0.5 से कम आंकड़ों को नहीं लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि 9.2 मानक चट्टे आते हैं तो उन्हें 9 ही माना जायेगा। और यदि 9.7 चट्टे परिगणित होते हैं तो उन्हें 9.5 ही माना जायेगा। चालान में वास्तविक चट्टों व मानक चट्टों दोनों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। वास्तविक चट्टों से मानक चट्टों की तुलना में आई कमी के लिए कूप प्रभारी उत्तरदायी माना जायेगा एवम् चट्टा निर्माण के संदर्भ में हुए व्यय की राशि कूप प्रभारी से वसूल की जायेगी। जलाऊ लकड़ी के परिवहन हेतु संलग्न प्रपत्र में चालान प्रयुक्त होगें।

3- परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि वह डिपो लाई गई जलाऊ के चट्टे निर्धारित आकार में लगाकर देगा। इस आशय का परिवहनकर्ता से अनुबंध/शर्तो में प्रावधान किया जाये। यह व्यवस्था ट्रेक्टर व बैलगाड़ी हेतु भी लागू होगी।

4- डिपो में जलाऊ लकड़ी प्राप्त होने पर ट्रक खाली करने से पूर्व इस भरी लकड़ी की लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई पुनः मापी जायेगी व चालान पर लिखी जायेगी।

5- यदि कूप से भेजे गये मानक चट्टों की अपेक्षा डिपों में प्राप्त चट्टों में कमी पाई जाती है, तो कम प्राप्त चट्टों के बाजार मूल्य की दो गुना राशि की वसूली परिवहनकर्ता से वसूल की जायेगी।

6- चट्टों का परिवहन यथासंभव कूप कटाई के सीजन में ही पूर्ण कर लिया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से उसी सीजन में परिवहन पूर्ण न हो पाने पर यदि परिवहन कराये जाने वाले चट्टों के आयतन में कमी आती है, तब कूप प्रभारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी से इसका सत्यापन कराया जायेगा, जो ऊँचाई में आई कमी के आधार पर आयतन में आई कमी का आंकलन कर उसे प्रमाणित करेंगें। तत्पश्चात् कार्टिग चालान में वास्तविक चट्टों की संख्या दर्शाकर उनकी मानक संख्या कण्डिका - 2 के अनुसार दर्शाई जायेगी। आयतन में आई कमी का समायोजन राजपत्रित अधिकारी के निरीक्षण अनुसार वनमंडलाधिकारी की विशिष्ट अनुमति से ही किया जायेगा। यदि किसी डिपो से पुरानी जलाऊ अन्य डिपो को भेजी जाती है तो उसमें भी यही प्रक्रिया लागू होगी।

7- डिपो में सुविधा व आवश्यकतानुसार 10, 20, 50 या वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या के चट्टों की थप्पी बनाई जायेगी, जिसकी ऊँचाई 0.80 मीटर व चौड़ाई 2.50 मीटर होगी। डिपो में प्राप्त जलाऊ में से यदि आर.टी.स्लीपर, खोड़ अथवा डेंगरी आदि निकालना संभव हो तो उन्हें निकालकर पृथक की गई काष्ठ को अभिलेखित कर उसके चट्टे अलग से लगाये जायेंगें तथा इनके वास्तविक आयतन का दुगुना, थप्पीकृत आयतन से कम करते हुये उनका लेखा अलग से रखा जायेगा। एक थप्पी पूरी हो जाने पर ही नई थप्पी प्रारंभ की जायेगी।

8- जलाऊ की डिपो में आवक के समयानुसार थप्पियों को अनुक्रमांक दिये जायेंगें। प्रत्येक थप्पी का विवरण पंजी अभिलेखित किया जायेगा।

9- जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन थप्पी के क्रमानुसार किया जायेगा। जलाऊ डिपो से जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन निम्नानुसार किया जायेगा।

क. केन्द्रीय डिपो से ग्राम पंचायतों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को चट्टे बेचे जायेगें।

ख. न्यूक्लियस डिपो/निस्तार डिपो से सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर चट्टे बेचे जायेगें।

ग. विभागीय डिपो से श्मशान घाट, जेल हॉस्टल, पुलिस विभाग आदि को चट्टे बेचे जायेगें।

घ. शहरी क्षेत्रों में भी यथासंभव बिक्रीय चट्टों (पूरे/आधे/चौथाई) के रूप में ही की जायेगी। जहाँ बिक्री तौल के आधार पर करने के अलग कोई विकल्प न हो, तो विक्रय की मात्रा देखते हुये दो से पांच चट्टे अलग निकाल कर उनकी तौल कर ली जावेगी व उनकी अलग से विधि की जावेगी। डिपो लेखें में चट्टों को निर्वतन संख्या के आधार पर दर्शाया जावेगा तथा पृथक लेखे में चट्टों की संख्या भार व निर्वर्तन विवरण रहेगा। इन चट्टों की बिक्री उपरांत पुनः उतने चट्टे बिक्री हेतु निकाले जायेगें।

10- माह के अंतिम दिन कोई निर्वर्तन नहीं किया जायेगा। यह दिन डिपो के लेखे के अनुसार भौतिक सत्यापन हेतु नियत रहेगा।भौतिक सत्यापन उपवन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का डिपोवार निर्धारण वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि एक अधिकारी/कर्मचारी के पास दो से अधिक डिपो ..... के लिए न रहें, सत्यापनकर्ता अधिकारी डिपो प्रभारी अधिकारी से भिन्न होगा यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी ने प्रत्येक माह सत्यापन का कार्य नहीं किया और बाद में अवशेष लकड़ी के स्टाक में कोई कमी पाई जाती है तो तब भी उसके लिए उत्तरदायी माना जा सकेगा।

11- प्रत्येक माह प्राप्त लकड़ी निर्वर्तित लकड़ी व अवशेष लकड़ी का आयतन के अनुसार लेखा, सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट सहित, आगामी माह की 5 तारीख तक वनमण्डलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

12- एक वानिकी वर्ष में जो जलाऊ लकड़ी डिपो में प्राप्त होगी, यदि आगामी वानिकी वर्ष के जनवरी माह के अंत तक उसका निर्वर्तन नहीं होता, तब अवशेष जलाऊ लकड़ी को नीलाम द्वारा निर्वर्तित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कतिपय विशिष्ट कारणों से जनवरी माह के बाद पुरानी जलाऊ लकड़ी डिपो में रखा जाना आवश्यक समझा जाता हैं तब वनमण्डलाधिकारी, विशिष्ट अवधि एवं औचित्य दर्शाते हुये पुरानी लकड़ी को डिपो में रखने के लिये प्रत्येक प्रकरण में वन संरक्षण की अनुमति प्राप्त करेंगें।

13- यदि वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा नहीं की जाती हैं या पुरानी लकड़ी समय से नीलाम द्वारा परिवर्तित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो भविष्य में होने वाली हानि हेतु उन्हें भी उत्तरदायी माना जा सकेगा।

14- जो लकड़ी डिपो में पहले ही प्राप्त हो चुकी है, उसके निर्वर्तन पर भी ऊपर दर्शाई गई कंडिका क्रमांक 8 एवं उसके बाद की प्रक्रिया लागू होगी। यदि थप्पियां पहले से बनाई जा चुकी हैं, तो उन्हें उसी स्वरूप में गान्य किया जायेगा।

15- डिपो में संधारित होने वाली 5 पंजियों के प्रारूप साथ संलग्न हैं। डिपो में इसका संधारण अनिवार्य व उचित ढंग से किया जावे। निरीक्षण व सत्यापन का विवरण पंजी में ही दर्शाया जाएगा।

# परिशिष्ट क्रमांक 9

## जलाऊ लकड़ी के विक्रय हेतु स्वीकृत दरें वर्ष – 2016

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रहने पर मिश्रित प्रजाति के जलाऊ चट्टे प्रति परिवार एक चट्टा दिया जा सकता है। जिसकी दर प्रति चट्टा 250.00 रूपये होगी। इस पर 3% वन विकास उपकर देय होगा।

2. वन विभाग के केन्द्रीय डिपो से प्रति चट्टा 1315.00 रूपये की विक्रय दर रहेगी। इस पर कर निम्नानुसार देय होंगे।

1. वन विकास उपकर - 3%

2. नरसिंहपुर वनमंडल के/गोटेगांव, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, बरमान डिपो से शवदाह हेतु प्रति चट्टा 1315.00 रूपये विक्रय दर है। जिस पर विक्रय कर देय होगा।

1. वन विकास उपकर - 3%

2. ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समितियों को उपलब्ध होने पर जलाऊ चट्टों का प्रदाय 225 रूपया प्रति चट्टा की दर से किया जावेगा।

वर्ष 2016 के लिए बाजार, निस्तार एवं वन समितियों हेतु जलाऊ चट्टे की प्रस्तावित दर

| विवरण | दर |
|---|---|
| बाजार एवं श्मशान घाट हेतु जलाऊ चट्टों | 1315 |
| निस्तार हेतु सीधे कूपों से | 250 |
| केवल वन समितियों हेतु सीधे कूपों से | 225 |

नोट - निस्तार सुविधा के तहत कूपों एवं न्यूक्लीयस डिपो से प्रदाय किये जाने वाले जलाऊ चट्टों का ट्रेक्टर द्वारा परिवहन किये जाने की छूट म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/रागिति से/04/2003/2013 दिनांक 05-04-2002 द्वारा कर दी गई हैं।

टीप : उपरोक्त दर में 3% वन विकास उपकर वसूल किया जावेगा।

1. राज्य शासन द्वारा ज्ञापन क्र. एफ. 15-13/07/10-2 दिनांक 20/7/12 द्वारा जनहानि/जनघायल/पशु हानि प्रकरणों के लिए निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की गई है।

| स. क्र. | वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि | पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जनहानि मृत्यु होने पर | 1,50,000 (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र एवं इलाज पर हुआ व्यय |
| 2. | स्थायी रूप से अपंगता होने पर | 1,00,000 (रूपये एक लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ व्यय |
| 3. | जन घायल होने पर | 30,000 (रूपये तीस हजार) मात्र अधिकतम |
| 4. | पशु हानि वन्यप्राणी द्वारा | राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार |

2. वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली उक्त हानि की स्थिति में शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

3. उपरोक्त व्यय मांग संख्या 10-शीर्ष-2406 योजना क्रमांक 3896 वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति-54 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विश्राम सागर शर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

विषय :- म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवा क्रमांक 10.3 वन्यप्राणियों में से पशुहानि हेतु राहत राशि का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र में हुये नवीनतम संशोधन दिनांक 24.07.2015 के अनुसार किये जाने बाबत।

संदर्भ :- म.प्र. शासन राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 6-6/2012/सात-3 दिनांक 24.07.2015

उपरोक्त संदर्भित राजस्व विभाग के ज्ञाप की छायाप्रति आपकी ओर ई-मेल से संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त ज्ञाप राजस्व विभाग की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से जनहानि, जनघायल, पशुहानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने हेतु जारी किये गये आदेश 20.07.2012 में वन्यप्राणियों से पशुहानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संबंध में राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक 24.07.2015 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

| क्र. | पशु का नाम | संशोधित क्षतिपूर्ति राशि (रू. में) |
|---|---|---|
| 1. | दुधारू पशु | |
| | (क) भैंस/गाय/ऊँट | 30000/- (रूपये तीस हजार) |
| | (ख) भेड़/बकरी | 3000/- (रूपये तीन हजार) |
| 2. | गैर दुधारू पशु | |
| | (क) बैल/भैंसा/ऊँट/घोड़ा | 25000/- (रूपये पच्चीस हजार) |
| | (ख) बच्चा - गाय/भैंस/घोड़ा/ऊँट | 16000/- (रूपये सोलह हजार) |
| | (ग) गधा/खच्चर | 16000/- (रूपये सोलह हजार) |
| 3. | सुअर | 3000/- (रूपये तीन हजार) |

अतः राजस्व विभाग द्वारा उनके संदर्भित ज्ञाप द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में किये गये संशोधन अनुसार पशुहानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावितों को करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- राजस्व विभाग का ज्ञाप दिनांक 21.07.2015
(केवल ई-गेल द्वारा)

(रवि श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

# निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन हेतु किसान लक्ष्मी योजना

प्रदेश में निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों को कृषि आय का साधन बढ़ाने हेतु **"किसान लक्ष्मी योजना"** लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है।

आवेदक अपनी निजी भूमि में कृषि फसल के साथ खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) अथवा खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

1. **आवेदक की प्रक्रिया :** योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं अथवा वनदूत के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपने जिले के वन विभाग की रोपणी में अथवा समीपस्थ वन विभाग के किसी भी कार्यालय में आवेदन देना होगा।
2. **पौधों की उपलब्धता :** पौधे अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणी में उपलब्ध है। आवेदक को रोपणी से स्वयं पौधे प्राप्त करने होंगे।
3. **वनदूत :**
   - योजना में अपने विकासखण्ड का कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में पंजीयन कराकर वनदूत बन सकता है।
   - वनदूत को रोपणी से पौधा प्राप्त कर आवेदक की भूमि पर पौधा रोपण कराना होगा।
4. **योजना की रुपरेखा :** आवेदक को न्यूनतम 100 पौधे के सफल रोपण हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा। अधिकतम रोपण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जीवित पौधों की संख्या के आधार पर योजना का लाभ केवल तीन वर्षो तक मिलेगा।
5. **प्रोत्साहन राशि का वितरण :**
   - रोपण के अगले वर्ष और दूसरे वर्ष में रूपये 3/- तथा तीसरे वर्ष में रूपये 4/- प्रति जीवित पौधा के मान से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
   - वनदूत को रोपण के अगले वर्ष में रूपये 2/- दूसरे एवं तीसरे वर्ष में रूपये 1/- प्रति जीवित पौधा के मान से अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
   - न्यूनतम 65 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही प्रोत्साहन राशि जीवित पौधे हेतु देय होगी।
6. **प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया :** प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को जीवित पौधों के संबंध में घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में दो स्वतंत्र गवाहों से पुष्टि कराकर देना होगा। तीसरे वर्ष की प्रोत्साहन राशि देने हेतु पौधों का सत्यापन कराया जायेगा तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदक को पात्रता अनुसार प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाते में ही जमा की जावेगी।
7. **प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी :** वृक्षारोपण से संबंधित तकनीकी जानकारी नजदीक के रोपणी स्थल पर एक दिन के प्रशिक्षण के माध्यम से दी जायेगी।
8. **वृक्षारोपण का पंजीयन :** आवेदक यदि वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय में कराता है तो भविष्य में वृक्षों की कटाई में छूट की सुविधा प्राप्त होगी।

**: सम्पर्क करें :**

| क्र. | जिला | वन विस्तार अधिकारी | दूरभाष क्रमांक | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय | मोबाइल |
| 1. | सिवनी | वन विस्तार अधिकारी सिवनी | | 9425796529 |
| 2. | | वन विस्तार अधिकारी लखनादौन | | 9302662105 |
| 3. | छिन्दवाड़ा | वन विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा | | 7354854471 |
| 4. | | वन विस्तार अधिकारी सौंसर | | 9424796527 |
| 5. | बालाघाट | वन विस्तार अधिकारी बालाघाट | | 8435869595 |
| 6. | नरसिंहपुर | वन विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर | | 9425796529 |
| मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी | | | 07692-221395 | 9424796530 |

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

प्रगति भवन, विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी. नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755-2674206, 2674248, फैक्स : 0755-2766315
e-mail : pccfwl@mp.gov.in, pccfwl@mpforest.org

क्रमांक/एस-4/तक-II/189-II/3752 भोपाल, दिनांक : 27/6/2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक
(क्षेत्रीय) वन वृत्त, म.प्र.
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, म.प्र.
समस्त संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र.
मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, ग्वालियर, म.प्र.
वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी)
वनमंडल कूनो पालपुर, श्योपुर/नौरादेही, सागर
समस्त वनमंडलाधिकारी, सा. वनमंडल, म.प्र.

विषय :- वन्यप्राणियों से फसलहानि हेतु प्राप्त प्रकरणों को निराकरण एवं भुगतान हेतु राजस्व विभाग को भेजने बाबत निर्देश।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर 2011 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के ज्ञाप के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवा क्रमांक 4.6 में वन्यप्राणियों से फसलहानि का भुगतान हेतु यह सेवा राजस्व विभाग को सौंपी गई है, किन्तु वर्ष 2012-13 तक फसल हानि हेतु निर्धारित मद 5828 से वन्यप्राणियों द्वारा हुई फसल क्षति हेतु राहत राशि का भुगतान संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। इस वर्ष 2013-14 से वन्यप्राणियों द्वारा फसलक्षति हेतु बजट योजना क्रमांक 7250 के तहत राहत आयुक्त को बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है तथा वन विभाग से यह योजना निर्धारित मद 5828 सहित राजस्व विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। अब वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से हुई फसल हानि हेतु मुआवजा भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि चूंकि कृषकों के समस्त अभिलेख राजस्व विभाग में उपलब्ध होते हैं तथा यह योजना उक्त अधिनियम के तहत राजस्व विभाग को सौंपी गई है एवं इस हेतु निर्धारित बजट मद भी राजस्व विभाग के अधीन है। इसलिये वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि से संबंधित प्रकरण प्राप्त होने पर इन्हें निराकरण एवं भुगतान हेतु संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों को ही भेजे। नवीन व्यवस्था के संबंध में संयुक्त वन प्रबंध समितियों एवं इको विकास समितियों के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जाये।

(नरेन्द्र कुमार)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

क्रमांक/एस-4/तक-II/189-II/3752 भोपाल, दिनांक : 27/6/2013

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

## राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के सुसंगत अंश निम्नानुसार है

(क) फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान के मानदण्ड

छः - क्रमांक 4

### राजस्व पुस्तक परिपत्र

| अ. क्र. | कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की भूमि | | 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि | 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | लघु एवं सीमांत कृषक-0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को | 1 | वर्षा आधारित फसल के लिए - रूपये 2000/- (रूपये दो हजार प्रति हेक्टेयर) | वर्षा आधारित फसल के लिए - रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) प्रति हेक्टेयर |
| | | 2 | सिंचित फसल के लिए - रूपये 3500/- (रूपये तीन हजार पाँच सौ)प्रति हेक्टेयर | सिंचित फसल के लिए - रूपये 7500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ)प्रति हेक्टेयर |
| | | 3 | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की) फसल के लिए - रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार) प्रति हेक्टेयर | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की फसल के लिए) - रूपये 7500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर |
| | | 4 | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिए रूपये 7500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिए रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रति हेक्टेयर |
| 2 | लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को | 1 | वर्षा आधारित फसल के लिए रूपये 1500/- (रूपये एक हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर | वर्षा आधारित फसल के लिए रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर |
| | | 2 | सिंचित फसल के लिए - रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर | सिंचित फसल के लिए - रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार) प्रति हेक्टेयर |
| | | 3 | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की) फसल के लिए - रूपये 3500/- (रूपये तीन हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से कम अवधि की) फसल के लिए - रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार) प्रति हेक्टेयर |
| | | 4 | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिए रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार) प्रति हेक्टेयर | बारामाही (पेरीनियल) (6 माह से अधिक अवधि की) फसल के लिए रूपये 7500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर |

(ख) फलदार पेड, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे आदि की हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता के लिए मानदण्ड :

| क्र. | विवरण | 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि | 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान की सहायता राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें (क्रमांक 2 में उल्लेखित बगीचे/फसलें) | रूपये 200/- (दो सौ) प्रति पेड़ | रूपये 300/- (तीन सौ) प्रति पेड़ |
| 2 | संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें | रूपये 4000/- (रूपये चार हजार) प्रति हेक्टेयर | रूपये 6000/- (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर |
| 3 | पान बरेजे आदि की हानि के लिए | रूपये 12000/- (रूपये बारह हजार) प्रति हेक्टेयर या रूपये 300/- (रूपये तीन सौ) प्रति पारी | रूपये 20000/- (रूपये बीस हजार) प्रति हेक्टेयर या रूपये 500/- (रूपये पाँच सौ) प्रति पारी |

(1) उपर्युक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किन्तु देय राशि रूपये 500/-(रूपये पाँच सौ) से कम नहीं होगी।

(2) फसल हानि के लिए या फलदार पेड़ पर लगी फसलें, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें या पान बरेजे आदि की हानि होने पर ऊपर वर्णित मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जायेगी, किन्तु किसी भी खातेदार के ऐसी आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रूपये 30,000/- (रूपये 30 हजार) से अधिक नहीं होगी।

(3) कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं हैं। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी। जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो खेती कर रहा है उसे अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(4) "पान बरेजे की खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में प्रयुक्त 250 वर्गमीटर भूमि अर्थात 0.025 हेक्टेयर भूमि।"

नोट :- फसल क्षति राशि का भुगतान संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

**मध्यप्रदेश शासन**
**वन विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक/एफ-7/2/2004/10-3 भोपाल, दिनांक सितम्बर 2009

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासियों को बसोड़ समुदाय की तरह रियायती दरों पर बांस उपलब्ध कराना।

राज्य शासन ने एदत् द्वारा यह निर्णय लिया है कि बसोड़ समुदाय की तरह बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को भी उपलब्धता के आधार पर 150 बांस प्रतिवर्ष प्रदाय किया जाये। शेष समस्त शर्तें बसोड़ों के जिए निर्धारित अनुसार ही रहेगी।

एस. आर. चौधरी
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
2. सचिव, म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल
3. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन/समन्वय)/मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त वन संरक्षक (म.प्र.)
5. समस्त जिलाध्यक्ष (म.प्र.)
6. समस्त वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल (म.प्र.)

## नरसिंहपुर जिला हेतु बांस परिवहन व्यय जोड़कर वर्ष 2016 के लिये बाजार निस्तार एवं वन समितियों हेतु बांस की प्रस्तावित दर

| विवरण | नरसिंहपुर जिला हेतु (लम्बाई मीटर में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 2.50 | 3.10 | 3.70 | 4.60 | 5.50 |
| बाजार दर | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 |
| निस्तार दर | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 12.00 | 13.00 |
| वन समितियों हेतु दर | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
| बसोड़ दर (1 से 1500 नग बांस तक के लिए) | | | | | | |
| अ) ग्रामीण क्षेत्र के बसोड़ों हेतु | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
| ब) शहरी क्षेत्र के बसोड़ों हेतु | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 10.00 | 11.00 |

टीप : उपरोक्त दर में 3% वन विकास उपकर दोनों के योग पर 5% वेटकर वसूल किया जावेगा।
वन विकास उपकर - 3%
वेटकर - 5%

# नरसिंहपुर जिला हेतु वर्ष 2016 के लिए
# बाजार, निस्तार एवं वन समितियों हेतु बल्लियों की प्रस्तावित दर

| प्रजाति | गोलाई दर | लम्बाई वर्ग | बाजार दर (रू. प्रति नग) | निस्तार दर (रू. प्रति नग) | वन समितियोंहेतु (रू. प्रति नग) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सागौन बल्ली | 15-20 | 2-3 | 53 | 48 | 46 |
| | | 3-4 | 62 | 60 | 57 |
| | | 4-6 | 95 | 70 | 67 |
| | | O-6 | 108 | 80 | 78 |
| | 21-30 | 2-3 | 119 | 112 | 105 |
| | | 3-4 | 159 | 145 | 138 |
| | | 4-6 | 195 | 176 | 170 |
| | | O-6 | 228 | 187 | 185 |
| | 31-40 | 2-3 | 383 | 343 | 340 |
| | | 3-4 | 465 | 455 | 347 |
| | | 4-6 | 535 | 500 | 489 |
| | | O-6 | 575 | 565 | 548 |
| बीजा, शीशम, तिन्सा, हल्दू, खमर, साजा, मण्डी | 21-30 | 2-3 | 89 | 84 | 82 |
| | | 3-5 | 126 | 116 | 84 |
| | | O-5 | 168 | 133 | 127 |
| | 31-40 | 2-3 | 150 | 139 | 137 |
| | | 3-5 | 183 | 172 | 162 |
| | | O-5 | 215 | 187 | 182 |
| | 41-50 | 2-3 | 205 | 200 | 194 |
| | | 3-5 | 322 | 296 | 270 |
| | | O-5 | 370 | 331 | 320 |
| अन्य प्रजाति बल्ली | 21-30 | 2-3 | 84 | 82 | 80 |
| | | 3-5 | 124 | 108 | 93 |
| | | O-5 | 163 | 130 | 108 |
| | 31-40 | 2-3 | 105 | 98 | 91 |
| | | 3-5 | 150 | 126 | 110 |
| | | O-5 | 188 | 172 | 162 |
| | 41-50 | 2-3 | 163 | 155 | 145 |
| | | 3-5 | 239 | 226 | 212 |
| | | O-5 | 322 | 306 | 288 |

नोट : उपरोक्त दर में 3% वन विकास उपकर दोनों का योग पर 14% वेटकर वसूल किया जावेगा।

वन विकास उपकर - 3%

वेट कर - 14%

# लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्रदत्त सेवायें

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | वन्यप्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि का भुगतान | परिक्षेत्राधिकारी | 3 कार्य दिवस | वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक | 15 कार्य दिवस | वन सरंक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालक |
| 10.2 | वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि को भुगतान | परिक्षेत्राधिकारी | 7 कार्य दिवस | वन मंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक | 15 कार्य दिवस | वन सरंक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालक |
| 10.3 | वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान | परिक्षेत्राधिकारी | 30 कार्य दिवस | वन मंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक | 30 कार्य दिवस | वन सरंक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालक |
| 10.4 | मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान<br>1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण | परिक्षेत्राधिकारी | 45 कार्य दिवस | वन संरक्षक | 30 कार्य दिवस | वन सरंक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालक |
| | 2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरणों | वन मण्डलाधिकारी | 30 कार्य दिवस | वन संरक्षक | 30 कार्य दिवस | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन |
| 10.5 | काष्ठ के परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदान करना | 1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी | 3 कार्य दिवस | उप वन मंडलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन मंडलाधिकारी |
| | | 2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी | 10 कार्य दिवस | उप वन मंडलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन मंडलाधिकारी |
| | | 3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उपवनमंडलाधिकारी | 30 कार्य दिवस | उप वन मंडलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन मंडलाधिकारी |

# मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/385-74 भोपाल, दिनांकः 07/06/2011

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन
सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल

विषयः मेमर्स प्रेम काड़ी उद्योग सिवनी मालवा को एक मीटर से छोटे 30 सेमी से 70 से.मी. तक के बांस के टुकड़े प्रदाय करने बाबत्।

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 385 वीं बैठक दिनांक 09/05/2011 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अत्पादन के विषय क्रमांक 03) मेमर्स प्रेम काड़ी उद्योग सिवनी मालवा को एक मीटर से छोटे (30 से.मी. से 70 से.मी.तक के) बांस के टुकड़े 1700 रूपये प्रति विक्रय इकाई की दर से प्रदाय करने बाबत् विभाग द्वारा वनोपज अन्तर्विभागीय समिति के कार्य संचालन नियम क्रमांक 10 एवं 11 में दिये गये प्रावधानों के तहत समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 15/04/2011 को प्रदाय की गई आपात मंजूरी की समिति के माननीय सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के अन्य काड़ी उद्योगों की मांग पर उपरोक्त साईज के बांस के टुकड़े प्रदेश के सभी वन वृत्तों एवं वन विकास निगम के डिपों से भी उपरोक्त दर पर प्रदान करने की राज्य शासन एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

कपूर सिंह
पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

पृ. क्रमांक/समिति/385/ भोपाल, दिनांक : 21/06/2011

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार क्रमांक एक म.प्र. ग्वालियर को समिति की बैठक दिनांक 09/05/2011 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश वन विकास निगम पंचानन भवन भोपाल।
4. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।

पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–उत्पादन)
# मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं. 0755-2674354, *E-mail : apeclproduction@ gmail .com*

क्रमांक/उत्पा./निस्तार/30/2468 भोपाल, दिनांक : 30/06/2011

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक क्षेत्रीय
म.प्र.

विषयः निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय किये जा रहे बांसों की लम्बाई/साईज बाबत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषय में लेख है कि बालाघाट एवं होशंगाबाद वृत्तों से निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत 6.40 एवं 7.30 मीटर लम्बाई के बांस प्रदाय करने बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 6.40 तथा 7.30 मीटर लम्बाई के बांस व्यापारिक बांसों की श्रेणी में आते हैं तथा इनका निर्वर्तन नीलाम द्वारा ही किया जाता हैं। परीक्षण उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 6.40 तथा 7.30 मीटर लम्बाई के बांस निस्तार सुविधा के अंतर्गत बसोड़ों को प्रदाय किया जाना उचित नहीं है तथा इनका निर्वर्तन पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार नीलाम द्वारा ही किया जावे।

निस्तार सुविधा के अन्तर्गत बसोड़ों को 4.60 एवं 5.50 मीटर लम्बाई के बांस पूर्व प्रचलित तथा अनुसार उपलब्धता के आधार पर प्रदाय किये जाये।

बसोड़ों की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुये यह निर्धारित किया जाता है कि यदि आपके वृत्त में 3.70 एवं 2.50 मीटर लम्बाई के बांस उपलब्ध हो, तो उन्हें निस्तार एवं बसोड़ों को प्रदाय करने के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है।

रमेश के दवे
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक/उत्पा./निस्तार/30/2647 भोपाल, दिनांक 30/06/2011

प्रतिलिपि : समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय उत्पादन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

## मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एस-30/8/2002/10-3 भोपाल, दिनांक : 12 नवम्बर, 2007

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम 2000 के अंतर्गत वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जट्रोफा बीज के परिवहन के लिये टी.पी. की आवश्यकता के संबंध में।

-- : : --

राज्य शासन की अधिसूचना क्र./एफ 28-1/2003/दस-3, दिनांक 24/06/2003 के द्वारा तेन्दुपत्ता, साल बीज, कुल्लू गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज को अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है। चूंकि जेट्रोफा बीज विनिर्दिष्ट लघु वनोपज नहीं है। अतः राज्य शासन एक बार पुनः समस्त की जानकारी में लाना चाहता है कि जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम 2000 के अंतर्गत टी.पी. आवश्यक नहीं होगी।

कृपया सर्वसंबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(रतन पुरवार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2007

पृ.क्र./एफ 30/8/2002/10-3

प्रतिलिपि :-

1. अपर, मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की ओर उनसे सचिव, वन विभाग से दि. 04/10/2007 को हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

## परिवहन अनुज्ञा–पत्र जारी करने हेतु नवीन जारी शासन के निर्देश

1. वन क्षेत्र के बाहर उत्पादित निम्न प्रजातियों की काष्ठ/ईंधन को मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के अंतर्गत अभिवहन पास की आश्यकता से पूर्णतः मुक्त है :-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नीलगिरी | यूकेलिप्टस प्रजातियां | 2. | इजरायली बबूल | एकेशिया टॉरटिलिस |
| 3. | कैसूरिना | कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया | 4. | विलायती बबूल | प्रोसापिस जुलीफ्लोरा |
| 5. | सूबबूल | ल्यूसेनिया प्रजातिया | 6. | पापलर | ल्यूसेनिया प्रजातियां |
| 7. | बबूल | अकेशिया निलोटिका | | | |

आयातीत/शंकुधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन) की अन्य समस्त प्रजातियां, जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती है, चाहे वे किसी अन्य नाम से ही जानी जाती हो।

2. वन क्षेत्र के बाहर उत्पादित निम्न प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिये अभिवहन पास इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से गठित पंचायत स्तर की सिफारिश के अनुसार जिले के अंदर या जिले से लगे हुए जिले तक परिवहन हेतु पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सिरिस | अल्बीजिया प्रजातियां | 2. | बेर | जिजूफस प्रजातियां |
| 3. | पलास | ब्यूटिया मोनोस्पर्मा | 4. | जामुन | साइजेजियम कुमिनी |
| 5. | रिमझा | अकेशिया ल्यूको फ्लोइया | 6. | नीम | अजाडरक्टा इंडिका |
| 7. | आम | मैजीफैरा इंडिका | | | |

खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सीधी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बांस।

3. पैरा-5 में उल्लेखित प्रजातियों को छोड़कर अन्य प्रजातियों के लिए अभिवहन पास वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी के द्वारा पंचायत स्तर की समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् जारी किया जायेगा।
4. जिन प्रजातियों के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता है, उसमें यदि परिवहन लगे हुये जिले के भी बाहर किया जाना है तो वनमण्डल अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी के द्वारा अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
5. अभिवहन पास जारी करने के लिए सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्राप्त की तारीख से 30 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
6. ऐसी काष्ठ पर अभिवहन पास प्राप्त करने के लिये हथौड़ा चिन्ह लगाये जाने के लिये फीस निर्धारित की जा सकती है। फीस निर्धारण संबंधी आदेश वन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जाते हैं।
7. अभिवहन पास के लिये निर्धारित शुल्क, जो कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, देय होगा।

(रतन पुरवार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

## कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र., भोपाल

क्र./एफ-05/2012/10-10/2452 भोपाल, दिनांक 23 मई, 2012

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश,

विषय :- खमेर प्रजाति की वनोपज काष्ठ को टी.पी. मुक्त करने बावत्।

संदर्भ :- अधिसूचना दिनांक 07 मई 2012.

--00--

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक-एफ-30/8/2002/10-3 दिनांक 07/05/2012 द्वारा खमेर-मेलाइना अरबोरिया को परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से मुक्त रखा है। कृपया संलग्न अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें।

(टी.आर. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

क्र./एफ-05/2012/10-10/2453 भोपाल, दिनांक 23 मई, 2012

प्रतिलिपि :-
1. निज सचिव, माननीय वन मंत्री जी म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. निज सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी) मध्यप्रदेश।
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) वनमण्डल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

विभिन्न डिपो हेतु गठित निगरानी समिति सदस्यों का डिपोवार विवरण

## वन डिपो निगरानी समिति

### गोटेगाँव परिक्षेत्र

1. केन्द्रीय डिपो गोटेगाँव
    1. श्री रविशंकर जी पारासर
    2. श्री अर्जुन सिंह पटैल
    3. श्री प्रसन्न जैन
2. निस्तार डिपो श्रीनगर
    1. श्री अनिल कुमार
    2. पं. श्री सुधीर दुबे
    3. श्री भरत श्रीपाल
3. निस्तार डिपो नगवारा
    1. श्रीमति बेजंती बाई मेहरा
    2. श्री सेवाराम मुढिया
    3. श्री मुवीन खान
4. डिपो नि. डिपो पिपरिया
    1. श्री शिवप्रसाद श्री पाल
    2. श्री गोपाल पटैल
    3. श्री लेखराम
5. डिपो नि. डिपो बगासपुर
    1. चौ. पदम सिंह पटैल
    2. पं. सनत मिश्रा
    3. श्री रंजीत सिंह परिहार
6. डिपो नि. डिपो उमरिया
    1. श्री रूपसिंह ठाकुर
    2. श्री गिरवर सिंह पटैल
    3. श्री विनीत पाठक
7. डिपो नि. डिपो बरहटा
    1. श्रीमति ममता बाई पटैल
    2. ओमकार प्रजापति
    3. श्री पुरूषोत्तम विश्वकर्मा
8. डिपो नि. डिपो कछवा
    1. श्री विशाल सिंह यादव
    2. श्री कुंजीलाल सोनी
    3. श्री किशोरी गिरी गोस्वामी
9. डिपो नि. डिपो सिलवानी
    1. श्री शिब्बूलाल मेहरा
    2. श्री छोटेलाल गौड़
    3. श्री ओमकार प्रसाद यादव
10. डिपो नि. डिपो सर्रा
    1. श्री मनोहर राव मुले
    2. श्री नीतेश पटैल
    3. श्री दशरथ सिंह पटैल
11. डिपो नि. डिपो डुंगरिया
    1. श्री केहर सिंह गौड़
    2. श्री कन्धीलाल गौड़
    3. श्री नन्हें वीर यादव

### करेली परिक्षेत्र

1. केन्द्रीय डिपो करेली
    1. श्री गौतम जैन
    2. श्री आसुतोष
    3. श्री कमलेश पटैल
2. डिपो नि. डिपो हर्दगांव
    1. श्री संजय गोस्वामी
    2. श्री काशीराम कौरव
    3. श्री रविन्द्र सिंह कौरव
3. डिपो नि. डिपो हिनौतिया
    1. श्री भवानी पटैल
    2. श्री दिनेश पटैल
    3. श्री कैलाश शर्मा
4. डिपो नि. डिपो ग्वारी निवारी
    1. श्री छिकौड़ी पटैल
    2. श्री तारा चौरसिया
    3. श्री दिनेश दीक्षित
5. डिपो नि. डिपो खड़ई
    1. श्री बिहारीलाल श्रीवास्तव
    2. श्री लालकुंवर कौरव
    3. डॉ. सत्यपाल राजपूत

### नरसिंहपुर परिक्षेत्र

1. केन्द्रीय डिपो नरसिंहपुर
    1. श्री जितेन्द्र अग्रवाल
    2. श्री नीरज नेमा
    3. श्री शशांक पटवा
2. डिपो नि. डिपो बचई
    1. श्री राम राज्य पटैल सलैना
    2. श्री विवेक ठाकुर/लाखन सिंह ठाकुर
    3. श्री खेमचंद राजपूत

## वन डिपो निगरानी समिति

3. निस्तार डिपो मुंगवानी
   1. श्रीमति अनीता/रविन्द्र पटैल
   2. श्री जगदेश/रेशम पटैल
   3. श्री रामकुमार/विश्राम ठाकुर

4. निस्तार डिपो देवनगर
   1. श्री रंजीत/विजय सिंह पटैल
   2. श्री तेजराम/देवकरन सिंह राजपूत
   3. श्री योगेन्द्र/ओमकार पटैल

5. निस्तार डिपो डुडवारा
   1. श्री राधेश्याम मेहरा
   2. श्री दिनेश/महेश प्रसाद तिवारी
   3. श्री वैनी/तोपसिंग ठाकुर

6. निस्तार डिपो पिपरिया
   1. श्री धनपत सिंह ठाकुर
   2. श्री मूरत साहू
   3. श्री रामफल मेहरा

7. निस्तार डिपो गोरखपुर
   1. श्रीमति रामवती/ताराचंद ठाकुर
   2. श्री राममोहन/तोताराम पटवा
   3. श्री शंकर/नन्हें वीर सोनी

8. निस्तार डिपो कोदारास
   1. श्रीमति प्रीति राय/ओमप्रकाश राय
   2. श्री सुखदेव/गेंदालाल डेहरिया
   3. श्री राजकुमार/इन्दरलाल राय

9. निस्तार डिपो उसरी
   1. श्रीमति ज्याबाई
   2. श्री शंकर यादव/लक्ष्मीप्रसाद
   3. श्री खेमचंद/होरीलाल यादव

10. निस्तार डिपो जैतपुर
    1. श्री नारायण सिंह/जगन्नाथ पटैल
    2. श्री मुंशीलाल/टीकाराम ठाकुर
    3. श्री पुहप सिंह/पूरन झारिया

### बरमान परिक्षेत्र

1. केन्द्रीय डिपो बरमान
   1. श्री दिनेश दुबे
   2. श्री राजेन्द्र पटैल
   3. श्री संजय सोनी

2. निस्तार डिपो बरमान
   1. श्री मोती चौरसिया
   2. श्री चन्द्रमोहन साहू
   3. श्री राव मुकेश सिंह

3. निस्तार डिपो तेंदूखेड़ा
   1. श्री परषोत्तम पटैल
   2. श्री सुरेश पुरोहित
   3. श्री छिदामी पटैल

4. निस्तार डिपो पीपरवानी
   1. श्री सीताराम पटैल
   2. श्री यशवंत पटैल
   3. श्री महेन्द्र लोधी

5. निस्तार डिपो सुआतला
   1. श्री जुगल दुबे
   2. श्री मोहन रघुवंशी
   3. श्री राकेश पटैल

### गाडरवारा परिक्षेत्र

1. केन्द्रीय डिपो गाडरवारा
   1. श्री लखन पटैल
   2. श्री प्रवेश राय
   3. श्री मधुसूदन पटैल

2. निस्तार डिपो गोटीटोरिया
   1. श्री दीपक अग्रवाल
   2. श्री प्रेमलाल कतिया
   3. श्रीमति क्रांति कमलेश चंचल

3. निस्तार डिपो सेसाडाबर
   1. श्री अशोक कौरव
   2. श्री हीरालाल
   3. श्री हल्के भैया ममार

4. निस्तार डिपो चीचली
   1. श्री शेखर वर्मा
   2. श्री राजेन्द्र कामगार
   3. श्री अरूणा बाई जेठा

5. निस्तार डिपो बारहा
   1. श्री प्रकाश जैन
   2. श्री वृन्दावन साहू
   3. श्री बुद्धू सिंह बेलवंशी

# चराई नियमावली 1986 का अनुपालन

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04/09/2009 द्वारा चराई की निम्नानुसार दरें लागू की गई है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (एक) | गाय, सांड, बैल | : | रूपये | निरंक |
| (दो) | अन्य पशु | : | रूपये | 8.00 प्रति पशु इकाई |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण-कक्ष) म.प्र. के पत्र क्र./संरक्षण/1702 दिनांक 20/11/2002 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 के अन्तर्गत दिये गये निर्देश निम्न हैं :-

1. राज्य के वनों में अनुज्ञप्ति के बिना चराई प्रतिबंधित है। निःशुल्क चराई के लिये भी अनुज्ञप्ति आवश्यक है। चराई अनुज्ञप्ति प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा उस संयुक्त वन प्रबंधन समिति को आवंटित क्षेत्र के लिये जारी की जावेगी।
2. राज्य के वनों में उनकी धारण क्षमता (Carrying Capacity) के अनुरूप ही चराई भार की अनुमति दी जायेगी। चराई खण्डों का निर्धारण वन संरक्षण द्वारा किया जाना है किन्तु अंतरिम तौर पर प्रत्येक वन खण्ड को चराई इकाई माना गया है। अंतरिम तौर पर आरक्षित वनों में एक पशु इकाई एवं संरक्षित वनों में 02 पशु इकाई प्रति हैक्टेयर का भराई भार निर्धारित किया गया है।
3. आरक्षित वनों में मेढ़ा, मेढ़ी, बकरा, बकरी, ऊँट, हाथी को चराई की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। यह प्रजातियाँ सामान्यतः संरक्षित वनों में अनुज्ञप्ति के अधीन चर सकती है किन्तु अभिगमन चराई अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत संरक्षित वनों में भी इनकी चराई प्रतिबंधित है। (मार्ग के मध्य से 100 मीटर की दूरी को छोड़कर)
4. 20 पशु इकाई से अधिक पशुओं के मालिकों को चराई शुल्क का भुगतान करना होता है। 21 से 30 पशु इकाई तक रूपये 4/- एवं उससे अधिक रूपये 8/- प्रति पशु इकाई की दर निर्धारित है। गाय, बैल एवं साँड़ की चराई निःशुल्क है। किसी भी चराई इकाई या उप इकाई में निःशुल्क अथवा सशुल्क चरने के लिये अनुज्ञप्त पशुओं की संख्या उसकी धारण क्षमता से अधिक नहीं होगी।
5. किसी चराई इकाई में चराई हेतु गांवों की प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु मापदण्ड नियम-4 के अन्तर्गत निर्धारित है एवं प्रत्येक चराई इकाई (वन खण्ड) को उप इकाईयों में बांट कर ग्राम सभा द्वारा चराई अनुज्ञप्तियाँ जारी की जाना है।
6. अभिगमन (Transit) चराई के लिये शासन द्वारा अलग से वार्षिक दरें (40/- रूपये प्रति इकाई) निर्धारित की गई है। इन दरों को सामान्य दरों के साथ किसी भी हालत में Confuse न किया जावे। यह दरें उन्ही परिस्थितियों में लागू होती है जहाँ कोई व्यक्ति अपने पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना चाहता हो। राजस्थान एवं गुजरात से मध्यप्रदेश होकर उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र जाने वाले पशुओं के लिये शासन द्वारा विशेष मार्ग निर्धारित किये गये हैं एवं यह पशु उन्हीं मार्गो से आवागमन कर सकते है तथा इन मार्गो से जाने के लिये उन्हें अभिगमन चराई शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य क्षेत्रों में इन पशुओं का पाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है।
7. पैरा 3 में उल्लेखित प्रजातियों के अतिरिक्त प्रजातियों के पशु अभिगमन के दौरान वनों में चराई कर सकते है किन्तु पैरा 3 में उल्लेखित पशु निर्धारित मार्गो की मध्य रेखा से 100 मीटर की दूरी के अन्दर ही चर सकते है।
8. देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वनों में चराई को नियंत्रित करने के लिये नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करवाया जा रहा है। कृपया आप लोग शीघ्रातिशीघ्र सभी वन मण्डलाधिकारियों की बैठक बुलवाकर नियमों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 21-05-2002 के अनुसार चराई अनुज्ञप्ति जारी करने का कार्य ग्राम सभाओं को दिया गया है, कृपया इस व्यवस्था को लागू करने के लिय आवश्यक स्टेशनरी तैयार करवाकर ग्राम सभाओं को उपलब्ध करावे एवं सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं ग्राम सभाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित् करें कि वन क्षेत्रों में निर्धारित चराई क्षमता से अधिक चराई न हो।
9. एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियमावली के नियम 4 के अनुसार निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञप्त पशु भी बिना अनुज्ञप्ति के वनों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिये यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों में यह धारणा है कि, निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, इसे शीघ्रातिशीघ्र ठीक करें, किसी चराई उप इकाईयों में चराई भार को उसकी क्षमता के अन्दर सीमित रखने के लिए कुल उपलब्ध क्षमता को गांव के निवासी परिवारों में बांटा जाकर उन्हें निःशुल्क एवं सशुल्क चराई अनुज्ञप्ति जारी करने की व्यवस्था करे। यदि किसी परिवार के पास उनको आवंटित की गई अनुपातिक क्षमता से अधिक पशु है तो उन्हें वन क्षेत्र में चराने से प्रतिबंधित किया जावे।

वन ही जीवन वन ही उपवन।
यही हवा है यही तपोवन।।
एक वृक्ष सौ पुत्र समान।
वृक्षारोपण कार्य महान।।
आओ हम संकल्प करें।
जंगल को हमें बचाना है।।
उजड़ गया जो अपना जंगल।
फिर से हमें सजाना है।।
वृक्ष कहें मत काटो भाई।
सिर्फ हमी से तेरी भलाई।।
जहां वन हैं वहीं धन।
वहीं बेहतर जीवन।।
सारी खुशी वहीं।
जहाँ बेहतर कानन।।

वनमंडलाधिकारी
नरसिंहपुर

वृक्षों की सेवा कीजिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए
औरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए।

वन मंडलाधिकारी
नरसिंहपुर

गुप्ता ऑफसेट, नरसिंहपुर, 231043